केवल शासकीय प्रयोगार्थ

सूखा प्रबन्ध योजना
जनपद बलरामपुर

वर्ष–2015

गगांराम गुप्ता
P.C.S.
अपर जिलाधिकारी
बलरामपुर

प्रीति शुक्ला
I.A.S.
जिलाधिकारी
बलरामपुर

अनुक्रमणिका

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या	
		कहॉ से	कहॉ तक
1	प्रस्तावना	3	..
2	सूखा सम्बन्धी विवरण	4	
3	वर्षा के ऑकड़े	5	
4	जिला/तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण/परामर्शदात्री आपात्कालीन सहायता समिति	6	
5	सूखा नियंत्रण कक्ष/प्रमुख दूरभाष नम्बर	7	10
6	संक्षेप में आपात्कालीन सूखा राहत योजना वर्ष 2015	11	
7	आपातकालीन सूखा सम्बन्धी साप्ताहिक विवरण पत्र का प्रारूप	12	13
8	सूखा राहत कार्ययोजना पशु विभाग	14	15
9	सूखा राहत कार्ययोजना पूर्ति विभाग	16	19
10	सूखा राहत कार्ययोजना चित्तौड़गढ़ बॉध, निर्माण खण्ड, बलरामपुर।	20	21
11	सूखा राहत कार्ययोजना नलकूप विभाग।	22	
12	सूखा राहत कार्ययोजना जल निगम विभाग	23	26
13	सूखा राहत कार्ययोजना सरयू नहर खण्ड–द्वितीय	27	
14	सूखा राहत कार्ययोजना सरयू नहर खण्ड–चतुर्थ	28	
15	सूखा राहत कार्ययोजना उद्यान विभाग	29	31
16	सूखा राहत कार्ययोजना विद्युत विभाग	32	
17	सूखा राहत कार्ययोजना नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	33	36
18	सूखा राहत कार्ययोजना कृषि विभाग	37	39
19	सूखा राहत कार्ययोजना जिला कार्यक्रम (बाल विकास) विभाग	40	
20	सूखा राहत कार्ययोजना (विकास विभाग) तालाब/जलाशय में पानी की स्थिति एवं रोजगार सृजन	41	
21	सूखा राहत कार्ययोजना परिवहन विभाग	42	
22	सूखा राहत कार्ययोजना स्वास्थ्य विभाग	43	47
23	सूखा राहत कार्ययोजना पुलिस विभाग	48	
24	सूखा राहत कार्ययोजना अग्नि शमन विभाग	49	50
25	भौतिक मानचित्र जनपद बलरामपुर	51	
26	उपसहांर	52	
27	सूखा राहत कार्ययोजना तैयार करने की बैठक एवं एजेन्डा	53	60
28	सूखा राहत की बैठक की कार्यवृत्त	61	65

प्रस्तावना

जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के तराई जनपदों में से एक नव सृजित जनपद है। इसके पूरब में जनपद सिद्वार्थनगर, पश्चिम में जनपद श्रावस्ती, उत्तर में नेपाल राज्य की सीमा तथा दक्षिण में जनपद गोण्डा की सीमा स्थित है। इस जनपद में कुल तीन तहसीलें क्रमशः बलरामपुर, उतरौला तथा तुलसीपुर हैं। जनपद में कुल नौ विकास खण्ड क्रमशः रेहरा बाजार, गैड़ास बुजुर्ग, उतरौला, श्रीदत्तगंज, बलरामपुर, हर्रैया सतघरवा, तुलसीपुर, गैंसड़ी तथा पचपेड़वा है। इसी प्रकार जनपद में एक महिला थाना तथा तेरह पुलिस स्टेशन क्रमशः कोतवाली नगर, बलरामपुर, कोतवाली देहात, बलरामपुर, थाना महराजगंज तराई, थाना गौरा चौराहा, थाना कोतवाली उतरौला, थाना रेहरा बाजार, थाना सादुल्लाहनगर, थाना तुलसीपुर, थाना कोतवाली गैंसड़ी थाना पचपेड़वा, थाना कोतवाली जरवा, थाना हर्रैया एवं थाना ललिया है। जनपद में दो नगर पालिका परिषदें क्रमशः बलरामपुर एवं उतरौला तथा दो नगर पंचायतें तुलसीपुर तथा पचपेड़वा है। बलरामपुर जनपद में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या–1012 है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,96,233 हेक्टेअर है जिसमें से 90,104 हेक्टेअर सिंचित क्षेत्रफल तथा 1,86,908 हेक्टेअर असिंचित क्षेत्रफल है। इस जनपद की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 16,84,567 है। इस जनपद की प्रमुख नदी राप्ती है, इसके अतिरिक्त बूढ़ी राप्ती एवं कुआनो नदी भी है। प्रमुख पहाड़ी नाले भॉभर, धोबैनिया, भुसैलवा, सिरसिया, नकटी तथा खरझार आदि हैं।

जनपद बलरामपुर में भारत–नेपाल सीमा से लगे चार विकास खण्डों क्रमशः पचपेड़वा, गैंसड़ी, तुलसीपुर तथा हर्रैयासतघरवा क्षेत्र में भूगर्भ जल स्ट्रेटा हार्ड होने के कारण सिंचाई/पेयजल हेतु बोरिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण सिंचाई/पेयजल की अनुपलब्धता बनी रहती है तथा इस क्षेत्र के कृषकों को पूर्णरूप से वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन विकास खण्डों के अन्तर्गत नेपाल राज्य की सीमा से आने वाले जल को रोक कर 08 जलाशय क्रमशः खैरवान, गिरगिटही, बघेलखण्ड, गनेशपुर, भगवानपुर, मझगवॉ, चित्तौड़गढ़ तथा कोहरगड्डी पर बॉध बनाकर सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया गया है किन्तु इन जलाशयों में पानी की उपलब्धता वर्षा पर ही निर्भर होती है। जनपद के शेष पॉच विकास खण्डों में भूगर्भ जल का स्ट्रेटा ऊपर होने के कारण इन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप तथा निजी नलकूपों की सुविधा उपलब्ध है।

जनपद बलरामपुर की मुख्य फसलें खरीफ, रबी व जायद हैं जो निम्न प्रकार हैः

1. **खरीफ–** मुख्य रूप से धान, मक्का, उड़द, अरहर, गन्ना, बाजरा आदि की फसलें हैं।
2. **रबी–** मुख्य रूप से गेंहूँ, मसूर, सरसों, अलसी, चना, मटर, लहसुन आदि की फसलें हैं।
3. **जायद–** मुख्य रूप से ककड़ी, खीरा, भिण्डी, तरोई, प्याज, लौकी, परवल, कटहल आदि।

जनपद बलरामपुर की भौगोलिक अवस्थिति निम्नवत् हैः–

	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
अक्षांश	27°–50′–39′′	27°–02′–58′′	27°–26′–13′′	27°–34′–45′′
देशांतर	82°–12′–25′′	82°–21′–45′′	82°–45′–00′′	82°–01′–24′′

जनपद की सामान्य वर्षा का वार्षिक औसत वर्षा 1028.13 मिमी0 है। सम्भावित सूखे की स्थिति में बलरामपुर द्वारा संभावित सूखा राहत योजना वर्ष 2015 तैयार कर ली गयी है जिसका उद्देश्य हर निर्धन व विपन्न व्यक्ति को रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना, साथ ही साथ स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था है। जनपद के ऐसे क्षेत्र जहॉ पर खरीफ की फसलें नहीं बोया जाना संभावित है, वहॉ वैकल्पिक क्रापिंग की व्यवस्था की गयी है। जनपद स्तर पर तैयार की गयी सूखा राहत योजना सम्भावित सूखे की स्थिति में एक मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि सम्भावित सूखे की स्थिति में हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, समाचार माध्यम तथा समाजसेवी संस्थायें सम्मिलित होकर जनपद के जन–जन की आकांक्षाओं को पूरा करने में जनपद स्तर पर तैयार योजना का सहारा लेकर प्रभावी एवं उपयोगी सिद्ध होंगे। जनपद स्तर पर तैयार सूखा राहत योजना को समय–समय पर प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे भी सुदृढ़ किया जाना जारी रखा जाएगा।

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

सूखा सम्बन्धी विवरण, जनपद–बलरामपुर

⇨ कुल राजस्व ग्रामों की संख्याः 1012

⇨ विगत वर्ष 2013–2015 में सूखे से प्रभावित राजस्व ग्रामों की संख्याः 0

⇨ जनपद में कुल तालाबों की संख्याः 1553

⇨ जनपद में कुल कूपों की संख्याः 6947

⇨ जनपद में कुल जलाशयों की संख्याः 8

⇨ **राजकीय नलकूपों की संख्याः**

1. कुल राजकीय नलकूप (सिंचाई) 338
2. चालू राजकीय नलकूप 338
3. सरकारी पेयजल नलकूपों की संख्या (शहरी क्षेत्र) 26
4. सरकारी पेयजल नलकूपों की संख्या (ग्रामीण क्षेत्र) 110

⇨ इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों की कुल संख्या (ग्रामीण क्षेत्र) 26539

⇨ इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों की कुल संख्या (शहरी क्षेत्र) 677

⇨ **जनपद में पशुओं के सम्बन्ध में सूचना**

1. जनपद में पशुओं की कुल संख्या (वर्ष 2003 की जनगणना के अनुसार) 8,26,885

2. **वैक्सीनेशन की स्थितिः**–पशुओं के वैक्सीनेशन व ट्रीटमेंट हेतु कुल 33 कैम्प स्थापित किये जायेंगें। पशुओं के वैक्सीनेशन व ट्रीटमेंट को शुल्क मुक्त रखा जायेगा। जनपद में पशुओं के चारा/भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चारा/भूसा को मॅगाये जाने वाले स्थलों को भी चिन्हित कर लिया गया है। राहत कार्यो हेतु आयोजित किये जाने वाले कैम्पों में उपयोगार्थ न्यूनतम मात्रा में आवश्यक औषधियों पर रू0–27.23 लाख का व्यय अनुमानित है।

1. जनपद में चारा/भूसा तथा हरी घास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
2. जनपद से चारा/भूसा निकासी पर रोक लगाये गये हैं।

⇨ परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से जनपद के सभी नौ विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों को यह निर्देश प्रदान किया जा चुका है कि वे बिना किसी देरी के वैकल्पिक क्रापिंग की योजना प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

नागरिक आपूर्ति

1. जनपद में कुल 37 पेट्रोल/डीजल पम्प तथा 07 मिट्टी तेल के थोक विक्रेता एवं 06 गैस एजेन्सी हैं जिसका विवरण आगे दिया गया है। जनपद में मिट्टी तेल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है। जनपद बलरामपुर में बीपीएल, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत खाद्य सामग्री कार्ड धारकों को दिया जाता है। एपीएल योजना के अन्तर्गत भी आवंटन प्राप्त है। आवश्यकता पड़ने पर इस योजना से भी और खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।
2. उप जिलाधिकारी, बलरामपुर, उतरौला, तुलसीपुर को निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूखे से सम्बन्धित नियमित रूप से दैनिक सूचना प्रेषित किये जाने हेतु पृथक से पत्र भेजा जा चुका है।

⇨ तहसील में कुल कितने तालाब हैं।

⇨ कुल कितने तालाब भरे हुए हैं।

⇨ कुल कितने तालाब सूखे/खाली हैं।

⇨ यदि पूर्णतया खाली नहीं हैं तो घटे हुए जल–स्तर की स्थिति

⇨ दैनिक वर्षा की सूचना (मि0मी0 में)

⇨ तहसील के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों/व्यक्तियों के लिए पेयजल की स्थिति

⇨ पशुओं के चारे की स्थिति

जनपद में नहरों की स्थिति

⇨ कुल टेलों की संख्या

मासिक औसत वर्षा के ऑकड़े (मि0मी0 में)

माह	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2015	वर्ष 2015
जनवरी	.....	.....	.....	35.3	4.54	24.67	42.26
फरवरी	1.6	15.8	13.9	19.4	48.36	.....	6.4
मार्च	.....	.....	20.7	7.7	.....	.....	42.72
अप्रैल	.....	.....	.....	5.7	.....	.....	23.13
मई	102.7	18.6	124.9	.....	14.05	14.05	15.27 (माह मई तक 129. 78)
जून	70.3	125.3	158.7	40.40	69.02	69.2	.....
जुलाई	313.4	288.8	296.7	430.80	237.36	237.36	.....
अगस्त	417.1	284.3	284.6	293.10	310.52	310.77	.....
सितम्बर	149.0	339.5	102.8	195.73	102.710	84.38	.....
अक्टूबर	101.7	0.5	.....	.....	18.39	91.90	.....
नवम्बर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
दिसम्बर	.....	.....	.....	.....	.....	4.85	.....
योग	**1155.8**	**1072.8**	**1002.3**	**1028.13**	**849.04**	**837.18**	**129.78**

नदी का जल स्तर

00	नदी का नाम	गेज स्थल का नाम	खतरे बिन्दु का स्तर	उच्चतम बाढ़ स्तर वर्ष–2000	उच्चतम बाढ स्तर 2015	बॉढ़ का शीर्ष स्तर (मी0 में)		
						चेतावनी स्तर	खतरे का बिन्दु	उच्च बाढ़ स्तर
1	राप्ती नदी	बलरामपुर (सिसई घाट)	104.620 मीटर	**105.255 मीटर**	**105. 510मीटर**	103.620	104.620	105.250

विगत तीन वर्षो का तुलनात्मक उच्चतम जल स्तर, विवरण जनपद बलरामपुर (मी0में)

नदी का नाम	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2015
राप्ती सिसई घाट	104.640	104.470	103.800	104.895	104.890	105.510

अधिशासी अभियन्ता,
ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण/परामर्शदात्री आपात्कालीन सहायता समिति, बलरामपुर।

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	अपर जिलाधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
5.	उप जिलाधिकारी, बलरामपुर/उतरौला/तुलसीपुर।	सदस्य
6.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी	सदस्य
9.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
10.	जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
11.	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड	सदस्य
12.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
13.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
14.	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
15.	अधिशासी अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ बॉध	सदस्य
16.	प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग	सदस्य
19.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य

जनप्रतिनिधि

20.	जनपद के मा0 सांसद	सदस्य
21.	जनपद के समस्त मा0 सदस्य विधानसभा/विधान परिषद	सदस्य
22.	मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत	सदस्य
23.	जिले के समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के मा0 अध्यक्ष	सदस्य

तहसील स्तरीय परामर्शदात्री आपात्कालीन सहायता समिति

1. उप जिलाधिकारी
2. क्षेत्राधिकारी, पुलिस
3. सहायक अभियन्ता, सिंचाई (नहर)
4. सहायक अभियन्ता, जल निगम
5. सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड
6. खण्ड विकास अधिकारी
7. चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
8. तहसीलदार
9. सहायक अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0

जनप्रतिनिधि

10. क्षेत्रीय मा0 सांसद
11. क्षेत्रीय मा0 विधायकगण
12. मा0 प्रमुख, क्षेत्र पंचायत
13. मा0 अध्यक्ष, स्थानीय निकाय

सूखा नियन्त्रण कक्ष

जिला स्तर पर सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना जिलाधिकारी कार्यालय में की गयी है। जनपद स्तर पर सूखे की आपात स्थिति के लिए अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, बलरामपुर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कलेक्ट्रेट बलरामपुर में नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष संख्या–05263–236250 है। सूखा राहत कार्य हेतु जनपद के सभी सम्बन्धित अधिकारियों का समन्वय अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, बलरामपुर से बना हुआ है।

उपरोक्त के अलावा जनपद, तहसीलों तथा विकास खण्डों में भी सूखा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

दूरभाष नम्बर

अधिकारी का नाम	पदनाम	कोड नं0	दूरभाष संख्या		
			आवास	कार्यालय	मो0नं0
1	2	3	4	5	6
श्री राम आश्रय	सीडीओ बलरामपुर	05263	232971	232171	9454416068
श्री गंगाराम गुप्ता	एडीएम बलरामपुर	05263	232035	236250	9454417607
श्री यू0के0 वर्मा	सीएमओ बलरामपुर	05263	233541	235506	9415303953
श्री यू0एल0गुप्ता	सीवीओ बलरामपुर	05263	233483	233483	9415758723
श्री इन्द्रभूषण वर्मा	एसडीएम बलरामपुर	05263	––	232720	9454416055
श्री राम हर्ष मौर्य	एसडीएम उतरौला	05265	––	252469	9454416056
श्री केशवनाथ गुप्ता	एसडीएम तुलसीपुर	05264	––	244453	9454416057
श्री शेषमणि सिंह	बीडीओ बलरामपुर	05263	233151	233151	9454464820
श्री उपेन्द्र प्रसाद पाल	बीडीओ, तुलसीपुर	05264	––	255006	9839976107
श्री शिवकुमार सिंह	बीडीओ, गैंसड़ी	05264	––	222034	9454464820
श्री गोबिन्द प्रकाश	बीडीओ, पचपेड़वा	05264	––	262479	9450049547
श्री राजेश कुमार जायसवाल	बीडीओ, उतरौला	05265	––	252688	9415175951
श्री शिव कुमार	बीडीओ, श्रीदत्तगंज	05265	––	224060	9454464821
श्री एजाज अहमद	बीडीओ, गैंड़ासबुजुर्ग	05265	––	256203	9454464824
श्री हीरालाल	बीडीओ, रेहरा बाजार	05265	––	242333	9839976107
श्री शिव कुमार	बीडीओ, हरैयासतघरवा	05262	––	283212 WLL	9454464821

अपर जिलाधिकारी,
बलरामपुर

जनपद बलरामपुर के प्रमुख अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

नाम अधिकारी	कोड नं0	दूरभाष संख्या	
		आवास	कार्यालय
1	2	3	4
आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद	05278	224242	224243
आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा	05262	232500, 231300	232400
सेना नायक, 30वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, गोण्डा	05262	230713	230713
जिलाधिकारी, बलरामपुर (फैक्स नं0–232368/236250)	05263	232231	233942
पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर	05263	232490	233100
क्षेत्राधिकारी बलरामपुर	05263	––	232270
क्षेत्राधिकारी, उतरौला	05265	––	252024
क्षेत्राधिकारी, तुलसीपुर	05264	––	244464
तहसीलदार बलरामपुर	05263	232366	––
तहसीलदार उतरौला	05265	––	252469
तहसीलदार तुलसीपुर	05264	––	244453
अधिशासी अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ बॉध, बलरामपुर	05263	232124	232354
अधि0अभि0, सरजू नहर खण्ड–प्रथम, बलरामपुर	05263	232112	232081
अधि0अभि0, सूरजू नहर खण्ड–द्वितीय, बलरामपुर	05263	232083	232083
अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड सिद्वार्थनगर	05244	222127	220730
अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बलरामपुर	05263	233885	––
अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि,प्रा0खं0, बलरामपुर	05263	232318	232318
अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बलरामपुर	05263	234592	233255
अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर	05263	232091	232042

डोगरा रेजीमेंट फैजाबाद (सेना)	05278	222984	222984
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेमोरियल हास्पिटल, बलरामपुर	05263	233541	232024
इंचार्ज फायर स्टेशन, बलरामपुर	05263	232101	234201 / 101
प्रभारी निरीक्षक,कोतवाली नगर, बलरामपुर	05263	——	232028
थानाध्यक्ष,कोतवाली देहात, बलरामपुर	05263	——	232008
थानाध्यक्ष तुलसीपुर	05264	——	244429
प्रभारी निरीक्षक, गैंसड़ी	05264	——	222004
थानाध्यक्ष, पचपेड़वा	05264	——	265528
थानाध्यक्ष, हर्रैया	05264	——	222077
थानाध्यक्ष ललिया	——	——	——
प्रभारी निरीक्षक, उतरौला	05265	——	252021
थानाध्यक्ष, सादुल्लाहनगर	05265	——	232224
थानाध्यक्ष, रेहरा बाजार	05265	——	242223
थानाध्यक्ष, महराजगंज तराई	05264	——	271072
थानाध्यक्ष, जरवा	05264	——	231010
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बलरामपुर (एन0आई0सी0)	05263	——	234900 / 234300
दूर संचार विभाग, बलरामपुर	05263	——	232000
महिला चिकित्सालय, बलरामपुर	05263	233232	232130
जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर	05263	235083	233994
अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बलरामपुर	05263	——	235144
परियोजना प्रबन्धक, बलरामपुर	05252	——	239009
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचपेड़वा	05264		262482
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुलसीपुर	05264	——	244437
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उतरौला	05265	——	252630
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैंसड़ी	05264	——	233915
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलरामपुर	05263	——	233771
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेहरा बाजार	05265	——	222795
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैंड़ास बुजुर्ग	05265	——	256205
अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खं0–5 बलरामपुर	233705	——	——
दैवी आपदा अनुभाग, बलरामपुर, फैक्स / टेलीफोन नं0–	05263–236250	निःशुल्क	टेलीफोन सं0–1077

पुलिस विभाग

पदनाम	आवास	कार्यालय	सी0यू0जी0 मोबाइल नं0
एस0पी0	232490		945440–0256
ए0एस0पी0	232007		945440–1028
सी0ओ0 नगर बल0	232270		945440–1365
सी0ओ0तुलसीपुर	244464		945440–1366
सी0ओ0,उतरौला	252024		945440–1367
एस0एच0ओ0, को0नगर बल0	232028	232100	945440–3019
महिला थाना			945440–4895
एस0ओ0, को0देहात बल0	232008		945440–3020
एस0ओ0, ललिया			945440–3025
एस0ओ0, हर्रैया	955263–222077		945440–3023

एस0ओ0, गौरा चौराहा			945440–3022
एस0ओ0, महराजगंज			945440–3026
एस0ओ0, पचपेड़वा	955264–262328		945440–3027
एस0एच0ओ0, उतरौला	955265–252021		945440–3031
एस0एच0ओ0 जरवा	.....		945440–3024
एस0एच0ओ0 गैंसड़ी	05264–222004		945440–3021
एस0ओ0 सादुल्लानगर	05265–232224		945440–3029
एस0ओ0, रेहरा बाजार	955265–222223		945440–3028
एस0ओ0, तुलसीपुर	05264–244429		945440–3030
प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष			945441–7381

अधिकारी का नाम पदनाम	विभाग का नाम	आवास	कार्यालय	मोबाइल
1	3	4	5	6
श्री एस0के0ओझा, अधि0अभि0	विद्युत विभाग, बल0			9415901524
डॉ ...वर्मा, सी0एम0ओ0	स्वास्थ्य विभाग, बल0			9415303953
श्री कुमार विप्लव, अधि0अभि0	सरयू नहर खण्ड–2, बल0	232283	232283	9415590817
श्री इन्द्रभूषण वर्मा जिलाधिकारी / अधि0अधि0	नगर पा0परि0 बल0			9454416055
श्री केशवनाथ गुप्ता उप जिलाधिकारी / अधि0अधि0	नगर पं0पचपेड़वा / तुलसीपुर			9454416064
श्री रामहर्ष मौर्य उप जिलाधिकारी / अधि0अधि0	नगर पा0परि0 उतरौला			
श्री लालता प्रसाद, अधि0अभि0	जल निगम, बल0	234592	233255	9473942719
श्री रामप्यारे, तहसीलदार, बल0	राजस्व विभाग			9415907006
श्री अनिल कुमार तहसीलदार, उतरौला	राजस्व विभाग			9415907007
श्री विजय कुमार ,तहसीलदार, तुल0	राजस्व विभाग			9415907008
श्री बी0के0 मिश्रा, डी0एस0ओ0	जिला आपूर्ति विभाग		232302	7839564703
श्री अमित कुमार चौबे, जिला कृषि अधिकारी	जिला कृषि विभाग			9235629686

अधिकारी का पदनाम	सी0यू0जी0नं0
जिलाधिकारी, बलरामपुर	9454417536
अपर जिलाधिकारी बलरामपुर	9454417607
उप जिलाधिकारी, बलरामपुर	9454416055
उप जिलाधिकारी, उतरौला	9454416056
उप जिलाधिकारी, तुलसीपुर	9454416057
अपर उप जिलाधिकारी,बलरामपुर	9454416064
ना0तह0,बलरामपुर–क्षेत्र पश्चिमी	9454416066
ना0तह0,बलरामपुर–क्षेत्र मथुरा	9454416067
ना0तह0,बलरामपुर–क्षेत्र पूर्वी	9454416068
ना0तह0 उतरौला–क्षेत्र उतरौला	9454416069
ना0तह0 तुलसीपुर–क्षेत्र पचपेड़वा	9454416070

संक्षेप में आपातकालीन सूखा राहत योजना वर्ष 2015, जनपद बलरामपुर

जनपद बलरामपुर में नेपाल राज्य की सीमा से आने वाले जल को रोक कर 8 जलाशय क्रमशः खैरवान, गिरगिटही, बघेलखण्ड, गनेशपुर, भगवानपुर, मझगवॉ, चित्तौड़गढ़, कोहरगड्डी पर बॉध बनाकर सिंचाई हेतु जलाशय का निर्माण कराया गया है, इसके रख रखाव का कार्य चित्तौड़गढ़ बॉध निर्माण खण्ड, बलरामपुर द्वारा किया जाता है। जलाशयों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0	जलाशय का नाम	कुल नहरों की संख्या	चालित नहरों की संख्या	टेल फीड संख्या	टेल फीड नहीं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोहरगड्डी	03			
2	चित्तौड़गढ़	26			
3	भगवानपुर	04			
4	बघेलखण्ड	04			
5	गनेशपुर	04			
6	मझगवॉ	04			
7	गिरगिटही	06			
8	खैरवान	05			

उपरोक्त जलाशयों में से चित्तौड़गढ़, कोहरगड्डी, भगवानपुर जलाशय की नहरें कृषकों द्वारा पानी की मॉग किये जाने पर चलायी जाती हैं। जनपद बलरामपुर में कुल 338 राजकीय नलकूप भी स्थापित हैं इन नलकूपों से भी सिंचाई की जाती है।

पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्थानीय निकाय क्षेत्र से सटे तालाब/पोखरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी तालाब/पोखरों में आवश्यकतानुसार पानी भरवाने तथा इसकी उपलब्धता निरन्तर बनाये रखने हेतु सभी स्थानीय निकाय प्रशासन एवं उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं। जनपद बलरामपुर में पशुओं के चारे की कोई समस्या नहीं है। सूखे की स्थिति में रोजगार के साधनों की कमी होती है। इस हेतु मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर, सिंचाई विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, कृषि विभाग आदि को एस0जी0एस0वाई0 के कार्यो को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिये गये हैं, जो शीघ्र ही एक योजना तैयार कर इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

सूखे की स्थिति में जिला आपूर्ति अधिकारी, बलरामपुर राजकीय सस्ते गल्ले की दूकानों से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, साथ ही मिट्टी के तेल, डीजल तथा पेट्रोल की पर्याप्त व्यवस्था जनपद में सुनिश्चित करेंगे। यथा आवश्यकता अतिरिक्त आवंटन हेतु शासन से मॉग की जायेगी। कृषि कार्यो हेतु विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0, पावर कारपोरेशन लि0, बलरामपुर को इस आशय के निर्देश प्रदान किये गये हैं, कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त रखते हुए उपलब्ध विद्युत का भरपूर उपयोग कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

जनपद में सम्भावित सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर को इस आशय के निर्देश प्रदान किये गये हैं कि सम्भाव्य बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जीवन रक्षक औषधियों का पर्याप्त भण्डारण, दूषित पेयजल को विसंक्रमित कराने, एण्टी–स्नेक वीनम तथा आई0वी0फ्लूइड का प्रचुर मात्रा में भण्डारण सुनिश्चित करेंगे। यदि वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो इसकी तत्काल व्यवस्था शासन को मॉग पत्र भेजकर सुनिश्चित करेंगे। सूखे की स्थिति से निपटने हेतु तहसील स्तर पर एक समिति स्थापित की गयी है, जिसमें सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अध्यक्ष तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, सहायक अभियन्ता, नलकूप, सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं सहायक अभियन्ता, जलनिगम को सदस्य नामित किया गया है। जनपद स्तर पर सूखे की आपात स्थिति के लिए अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, कलेक्ट्रेट, बलरामपुर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कलेक्ट्रेट बलरामपुर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है, जिसका दूरभाष संख्या–05263–236250 है। सूखा राहत कार्य हेतु जनपद के सभी सम्बन्धित अधिकारियों का समन्वय अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, बलरामपुर से बना हुआ है।

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर

संख्याः /आपदा लिपिक/सूखा–सूचना/15, दिनांकः 08.06.2015

आपातकालीन सूखा सम्बन्धी साप्ताहिक विवरण पत्र/प्रारूप

सूखे से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–115/1–11–2015–18(जी)/06, दिनांकः 24.03.2015 का संशोधित प्रारूप

सूखे से सम्बन्धित साप्ताहिक रिपोर्ट

जनपद का नाम : बलरामपुर

1. रिपोर्ट की तिथि : 08.06.2015

मौसम की स्थिति : जनपद में मौसम विभाग स्थापित नहीं है।

दिन	तिथि	तापमान		दैनिक वर्षा मि0मी0 औसत वर्षा		
		अधिकतम	न्यूनतम	बलरामपुर	उतरौला	तुलसीपुर
सोमवार	.....	.....	.....	.....	.....	.....
मंगलवार	.....	.....	.....	.....	.....	.....
बुद्धवार	.....	.....	.....	.....	.....	.....
बृहस्पतिवार	.....	.....	.....	.....	.....	.....
शुक्रवार	.....	.....	.....	10.2	.....	55.00
शनिवार	.....	.....	.....	.....	.....	.....
रविवार	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. विद्युत आपूर्ति (घण्टों में)

(अ) मण्डल मुख्यालय

(ब) जिला मुख्यालय 14.30 घण्टे

(स) ग्रामीण क्षेत्र 7.15 घण्टे

(द) खराब ट्रान्सफार्मर की स्थिति – 0

(घ) ऊर्जाकरण हेतु नलकूपों की स्थिति –07

3. **डीजल की उपलब्धता की स्थिति**–उपलब्ध है –2000ली0 डीजल तथा 500 ली0 पट्रोल

4. नहरों की स्थिति

(अ) कुल टेलों की संख्या (सिंचाई विभाग से संयुक्त समीक्षा उपरान्त वास्तविक स्थिति)–56

(ब) जिन टेलों पर पानी नहीं पहुॅचा उनकी संख्या (सिंचाई विभाग से संयुक्त समीक्षा उपरान्त वास्तविक स्थिति)–सभी नहरें बन्द हैं, रोस्टर के अनुसार जून माह में नहरें चलायी जायेगी।

(स) जनपद में स्थापित पम्प कैनाल की संख्या–01

(द) पम्प कैनाल द्वारा सिंचाई की स्थिति–अभी सूखे की स्थिति नहीं है।

5. हैण्डपम्पों/सरकारी नलकूपों की स्थिति

क्र0	मद	जनपद में कुल संख्या	स्थायी रूप से खराब	मरम्मत योग्य		अभ्युक्ति
				15 दिन से कम संख्या	15 दिन से अधिक खराब की संख्या	
1	हैण्डपम्प (ग्रामीण क्षेत्र)	26624	1900	0	450	रख रखाव का कार्य ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय द्वारा किया जा रहा है।
	हैण्डपम्प (शहरी क्षेत्र/ स्थानीय निकाय)	724	65	0	50	.....
2	सरकारी नलकूप (पेयजल) (ग्रामीण क्षेत्र)	13	0	0	2	.....
	सरकारी नलकूप (पेयजल) (शहरी क्षेत्र/स्थानीय निकाय)	26		.....	1	
3	सरकारी नलकूप (सिंचाई)	349	0	18	.....	.....

6.

मद	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र / स्थानीय निकाय	अभ्युक्ति
जनपद में रिबोर कराये जाने वाले हैण्डपम्प की संख्या	1900	65	
उक्त के लिये आवश्यक धनराशि (लाख रू0 में)	649.80	22.23	
जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि (लाख रू0 में)	0	0	
अब तक रिबोर कराये गये हैण्पम्प की संख्या	17	4	
रिबोर कराने हेतु अवशेष हैण्डपम्प की संख्या	1883	61	

8.

क्र0	निकाय	पेयजल समस्या से ग्रस्त	महामारी प्रभावित	पशुरोग प्रभावित	चारे की कमी
1	ग्रामों की संख्या	वर्तमान समय में अभी तक किसी भी ग्राम में पशुओं के पानी पीने की कोई समस्या नहीं है।	—	—	वर्तमान समय में चारे की कोई समस्या नहीं है।
2	नगरों की संख्या	—	—	—	—
3	नगर पालिकाओं की संख्या	—	—	—	—
4	नगर निगमों की संख्या	—	—	—	—

9. तालाबों / जलाशय में पानी की स्थिति (पंचायतीराज विभाग / सिंचाई विभाग):–

(अ) जनपद में तालाब / जलाशयों की संख्या– 189

(ब) जनपद में जल से भरे / भराये गये तालाब / जलाशय की संख्या–145

(स) जनपद में सूखे तालाब / जलाशय की संख्या– 0

(द) तालाब / जलाशय विहीन ग्रामों की संख्या–0

10. कूपों की संख्या / स्थिति–

(अ) जनपद में कुल कूपों की संख्या–0

(ब) पेयजल / सिंचाई हेतु प्रयोज्य कूपों की संख्या–0

(स) निष्प्रयोज्य कूपों की संख्या–0

11. पशुधन विकास की स्थिति–

(अ) जनपद में पशु आहार / चारों की स्थिति–चारे की समस्या नहीं है।

(ब) पशुओं हेतु पीने के पानी से समस्याग्रस्त ग्राम व उसके सापेक्ष कृत कार्यवाही का विवरण–0

1. जनपद में खरीब फसल की बोवाई की स्थिति–

क्र0	विवरण	धान	उरद	अरहर	बजरा	मूंग	तिल	अन्य
1.	लक्ष्य (लाख हे0)	111791	1793	4308	—	—	18	43
2	बोया गया क्षेत्रफल (लाख हे0 में)	—	—	—	—	—	—	—
3	अवर्षण के कारण 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फसल (लाख हे0 में)	—	—	—	—	—	—	—

12. जनपद में सूखे से सम्बन्धित किसी विभाग हेतु कोई अपेक्षा हो तो उससे सम्बन्धित तथ्यात्मक टिप्पणी

नोटः– जनपद में अभी सूखे की स्थिति नहीं है।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी / प्र0अ0(दै0आ0)
बलरामपुर

सूखा प्रबन्धन कार्य योजना पशुपालन विभाग बलरामपुर

जनपद में सूखे की स्थिति से पशुओं की सुरक्षा एवं व्यवस्था की कार्ययोजना वर्ष 2015–16 पशुपालन विभाग बलरामपुरः–

जैसा विदित है कि कभी–कभी वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में पशुओं के रख–रखाव एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सूखे से प्रभावित ग्रामों में प्रभावी कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता पड़ती है जिससे पशुपालकों एवं पशुओं को कोई हानि न हो इसके लिए विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न बैठकों एवं गोष्ठियों के माध्यम से पशुपालकों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उचित एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना हितकर होगा। सूखे से निम्न समस्या उत्पन्न होती है जिन पर प्राथमिकता के आधार पर नियन्त्रण करना आवश्यक है।

1. पशुओं के लिए चारे का अभाव।
2. पीने के लिए पानी की कमी।
3. हरे चारे की विषाक्ता।
4. अभाव जनित कुपोषण एवं विषाक्ता उत्पन्न रोगो के उपचार हेतु दवाई आदि की अतिरिक्त आवश्यकता।

सुखे की स्थिति में पशुओं में निम्न रोगो का प्रकोप भी सम्भावित हो जाता है। जिसका निस्तारण समय से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अ– अत्यधिक गर्मी एवं लू के कारण हीट स्ट्रोक एवं एक्यूट डिहाइड्रेशन की प्रमुख समस्या उत्पन्न हो जाती है इसलिए पहले से ही प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रो लाइट एवं फ्लूडस आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ब– पशुओं में मुंह पका– खुरपका रोग के प्रकोप की रोकथाम हेतु वैक्सीन की व्यवस्था पूर्व से ही किया जाना आवश्यक है।

स– ग्रीष्म काल में हल्की बारिश के बाद फिर सूखे जैसे स्थिति उत्पन्न होती है तो गलाघोटू रोग के प्रकोप की सम्भावना बढ़ जाती है इसके बचाव हेतु पशुपालन विभाग से आवश्यकतानुसार वैक्सीन प्राप्त कर लिया जायेगा।

उ– परजीवी कीटाणुओं की समस्या से निपटने हेतु चिकित्सालयों पर डिर्वमर की प्रचुर मात्रा की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

क– ग्रीष्म काल में कुपोषण के फलस्वरूप पशुओं की उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है साथ ही साथ प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है कृत्रिम गर्भाधान जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित न हो एवं पशुओं में प्रजनन क्षमता बनाये रखने हेतु बाझपन शिविरों तथा पशु आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था किये जाना आवश्यक होगा। पशु आहार तथा उपचार कराने की व्यवस्था गरीबी रेखा से नीचे के पशुपालकों को वितरित किया जायेगा।

ख– हरे चारे का जहरीला होनाः–

सूखे की स्थिति में हरे चारे में जहरीलेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है चरी में हाइड्रो साइनिक ऐसिड नाम का एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। जिसके खाने से 80 प्रतिशत तक पशु असामयिक मौत के शिकार हो जाता है जिसके बचाव के लिए पशुपालकों को चौपालों, गोष्ठियों, मीडिया के माध्यम से विशेष जानकारी दिये जाने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा। उचित यह होगा कि अपने कार्य क्षेत्र

के अर्न्तगत आने वाले ग्राम पंचायत के प्रधान भाइयों को पशु चिकित्सालय या विकास खण्ड स्तर पर सूखे से उत्पन्न होने वाले समस्याओं हेतु एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाये तथा साथ ही साथ सोडियम थायो सल्फेट की 10–10 खुराके भी उपलब्ध करा दी जाये ताकि आपातकालीन परिस्थिति में जनता की सेवा अविलम्ब हो सकें। सूखे की स्थिति में अग्निकांड की सम्भावनायें बढ़ जाती है। जिससे कभी–कभी पशुओं के झुलसने/मृत्यु की भी स्थिति आ जाती है। झुलसे पशुओं के उपचार हेतु एन्टीसेप्टिक औषधियां एवं वर्न आईन्टमेन्ट की आवश्यकता होगी।

सूखे की स्थिति में पशुओं को पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है इस स्थिति में सिचाई विभाग द्वारा तालाबो के भरवाने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु रिलीफ कैम्प लगाने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा जिसके लिये विभिन्न सामग्री उपलब्ध कराना होगा।

सामग्री	धनराशि (रूपये में)
1. सोडियम थायो सल्फेट/एन्टीसेप्टिक औषधियां/ वर्न आइन्टमेन्ट	7000.00
2. एण्टी बायोटिक एवं जीवन रक्षक औषधियां	
3. फ्लडस एवं इलेक्ट्रो लाइट्स	
4. वैक्सीन एच0एस0 विभाग द्वारा आपूर्ति की जायेगी	8000.00
5. अन्य व्यय (भूसा)	
	15000.00
	––
योग	23000.00

इस प्रकार रिलीफ कैम्प पर रू0 13000.00 व्यय करके सभी आवश्यक औषधियों/सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नानुसार धनराशि की आवश्यकता होगी।

सामग्री	धनराशि (रू0में)
1. प्रत्येक विकास खण्ड में रिलीफ कैम्प आयोजन पर व्यय 15000.00 प्रति कैम्प 9 विकास खण्ड × 15 कैम्प	2700000.00
2. कन्सनट्रेट राशन के क्रय पर व्यय–20 कि0ग्रा0 पैक 500 पैक प्रति विकास खण्ड ×9 रू0 360.00 प्रति पैक की दर से	
3. विभिन्न विकास खण्डों एवं पशु चिकित्सालयों पर पशु आहार पहुँचाने हेतु पी0ओ0एल0/वाहन किराया/उतरवाई एवं चढ़वाई मजदूरी हेतु अनुमानित व्यय।	1620000.00
कुल योग	4320000.00

नोटः– दैवी आपदा के समय पशु चिकित्सालय सदर बलरामपुर पर दैवी आपदा नियंत्रण कक्ष नियमित रूप से कार्य करेगा जहां का दूरभाष नम्बर 9415758723, पर सूचना देकर कार्यवाही सुनिश्चित कराया जा सकेगा पशु चिकित्साधिकारी सदर नियंत्रण कक्ष के प्रभारी होगें, जिनके देखरेख में दल कार्य करेगा।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
बलरामपुर

वर्श 2015 में सम्भावित आपूर्ति विभाग की सूखा कार्ययोजना

विभाग/पदाधिकारी	आपदा पूर्व तैयारी	आपादा दौरान	आपदा उपरान्त
खाद्य तथा रसद विभाग/ जिला पूर्ति अधिकारी	**1.**जपनद मे कार्यरत समस्त पेट्रोल/ डीजल पम्पो पर आवश्यकतानुसार पेट्रोल/ डीजल आरक्षित कराया जाना। सूची संलग्न है।	कड़ी निगरानी रखना तथा एक सीमा तक डीजल/पेट्रोल स्टॉक मे सुरक्षित रखना।	
	2. जनपद मे कार्यरत समस्त थोक मि0ते0 विक्रेताओ के यहाँ आपदा हेतु आवश्यकतानुसार मि0तेल आरक्षित कराया जाना सूची संलग्न है।	ब्लाक बलरामपुर एवं हरैयासतघरवा मे सूखा/आपदा से निपटने के लिये मिटटी तेल जिला मुख्यालय के थोक विक्रेता मे0आर0के0बी0के0 बलरामपुर से उपलब्ध कराया जायेगा। तुलसीपुर एवं गैसड़ी ब्लाक को तुलसीपुर के थोक मिटटी तेल विक्रेता के यहाँ से व ब्लाक पचपेड़वा को वहाँ के थोक मिटटी तेल विक्रेता से मिटटी तेल उपलब्ध कराया जायेगा और उतरौला तहसील मे उतरौला के थोक विक्रेता से मिटटी तेल उपलब्ध कराया जायेगा।	
	3.आपदा की सम्भावित आवश्यकतानुसार चना,लइया तथा गुड़ आरक्षित कराना। सूची संलग्न है। आवश्यकतानुसार और केन्द्र बढ़ाये जा सकते है।	सभी तहसील मुख्यालय पर सम्बन्धित सामग्री का आरक्षण कराया जाता है तथा प्रत्येक तहसील के ब्लाको को तहसील मुख्यालय से ही सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।	
	4.एस0एफ0सी0के आठो ब्लाक गोदामो पर अन्त्योदय, बी0पी0एल0 आदि योजनाओ के खाद्यान्न एवं ए0पी0एल0 गेहूँ का समुचित भण्डारण की व्यवस्था कराना। ए0पी0एल0 दर पर खाद्याान्न का भण्डारण आवश्यकतानुसार तत्काल कर लिया जाता है।	अन्त्योदय,बी0पी0एल0 योजना के खाद्यान्न एवं ए0पी0एल0 गेहूँ का उठान प्रत्येक माह मे कराकर उसका लाभार्थियो मे कराया जाता है। सूखा/आपदा आने पर ए0पी0एल0 चावल बलरामपुर गोदाम से ब्लाक बलरामपुर एवं हरैयासतघरवा को,ब्लाक पचपेड़वा गोदाम से ब्लाक पचपेड़वा तथा उतरौला गोदाम से ब्लाक उतरौला एवं श्रीदत्तगंज को आपूर्ति मांग के अनुसार कराई जायेगी।	
	5.जनपद के सभी तहसीनल मुख्यालयो पर आवश्यकता के अनुसार नमक एवं माचिस का आरक्षण कराना। सूची संलग्न है।	आवश्यकतानुसार सभी तहसील मुख्यालयो पर समाग्री का आरक्षण कराया जाता है तथा प्रत्येक तहसील के ब्लाको को तहसील मुख्यालय से ही सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।	

चना /गुड़ आरक्षित कराये जाने वाले विक्रेताओ की सूची

	डीलर का नाम व पता	वस्तु का नाम
1.	मे0 छगनमल सुरेश कुमार भगवतीगंज,बलरामपुर	चना
2.	मे0 विनोदी लाल बाबूलाल भगवतीगंज,बलरामपुर	चना
3.	मे0 नागरमल श्याम सुन्दर भगवतीगंज,बलरामपुर	चना
4.	मे0 हजारी मल एण्ड सन्स भगवतीगंज,बलरामपुर	चना
5.	मे0 बलराम ट्रेडिंग कम्पनी भगवतीगंज,बलरामपुर	गुड़

एस0एफ0सी0 ब्लाक गोदामो की सूची

1. ब्लाक गोदाम बलरामपुर
2. ब्लाक गोदाम शिवपुरा
3. ब्लाक गोदाम तुलसीपुर
4. ब्लाक गोदाम गैसड़ी
5. ब्लाक गोदाम पचपेड़वा
6. ब्लाक गोदाम उतरौला
7. ब्लाक गोदाम गैण्डास बुर्जुग
8. ब्लाक गोदाम रेहराबाजार

आयोडाइज्ड नमक/माचिस आरक्षित कराये जाने वाले विक्रेताओ की सूची

तहसील	डीलर का नाम	वस्तु का नाम
1–बलरामपुर	मे0 बलराम गुप्ता, बलरामपुर	नमक
	मे0 बाबा डिस्ट्रीब्यूटर्स, बलरामपुर	नमक
	मे0 गोयल किराना स्टोर्स, बलरामपुर	माचिस
2–उतरौला	मे0 पारसदीन व जगदम्बा प्रसाद उतरौला	नमक
	मे0 मो0 हलीम उतरौला	माचिस
3–तुलसीपुर	श्री राघवराम थोक नमक विक्रेता तुलसीपुर	नमक
	श्री नन्द लाल जायसवाल थोक माचिस विक्रेता तुलसीपुर	माचिस

जनपद मे कार्यरत पेट्रोल/डीजल पम्पों की सूची

क्र0सं0	पेट्रोल/डीजल पम्प का नाम	पता/स्थान
1	मे0 हमीरवासिया ब्रदर्स	भगवतीगंज, बलरामपुर।
2	मे0 सिंह मोटर स्टोर्स	वीर विनय चौक, बलरामपुर।
3	मे0 राज ऑयल एण्ड सर्विस स्टेशन	स्टेशन रोड, बलरामपुर।
4	मे0 विश्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी	हरैया–शिवपुरा रोड।
5	मे0 विष्णु नरायन एण्ड सन्स	जरवा रोड, तुलसीपुर।
6	मे0 सरदार बलेदव प्रसाद एण्ड कम्पनी	जरवा रोड , तुलसीपुर।
7	मे0 जय बजरंग आटो मोबाइल्स	तुलसीपुर–बढनी रोड पचपेड़वा।
8	मे0 दुर्गा प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद	उतरौला।
9	मे0 जगमोहन फिलिंग सेन्टर	अमया देवरिया, आसाम रोड।
10	मे0 दिनेश ट्रेडिंग कम्पनी	सादुल्लानगर।
11	मे0 अमर शिवा आटो सेन्टर	शेखरपुर हरिहरगंज बाजार, बलराम
12	मे0 शारदा फिलिंग सेन्टर	तुलसीपुर रोड, बलरामपुर।
13	मे0 सिह आटोमोबाइल्स	हरिहरगंज बहराइच रोड, बलरामपुर
14	मे0 सूर्य पेट्रोलियम	ग्राम मटेहना, गैंसड़ी।
15	मे0 एसोसिएट बिल्डर्स एण्ड ट्रडर्स	ग्राम बहादुरापुर, बलरामपुर।
16	मे0 ओम आटो मोबाइल्स	ग्राम रमवापुर, तुलसीपुर।
17	मे0 गोयल ट्रांसपोर्ट कम्पनी	ग्राम कटिया, पो0 श्रीदत्तगंज।
18	मे0 शंकर फिलिंग स्टेशन	बहराइच रोड, बलरामपुर।
19	मे0 बंसल आटो मोबाइल्स	महादेव मिश्र निकट नहरबालागंज,
20	मे0 पाटेश्वरी फिलिंग सेन्टर	ग्राम तिलकहना, पचपेड़वा।
21	मे0 हाशमी ट्रेवेल्स	मनकापुर रोड, उतरौला।
22	मे0 बी0बी0एस0 फिलिंग सेन्टर	ग्राम चयपुरवा तुलसीपुर।
23	मे0 आदित्य किसान सेवा केन्द्र	ग्राम मथुरा बाजार, हर्रैयासतघरवा।
24	मे0 किसान सेवा केन्द्र	ग्राम अर्जुनपुर, तुलसीपुर।
25	मे0 शिव शक्ति फिलिंग सेन्टर	ग्राम अमवा, शिवपुरा।
26	मे0 किसान सेवा केन्द्र	ग्राम महदेइया, श्रीदत्तगंज।
27	मे0 मनसा किसान सेवा केन्द्र	ग्राम गैडहवा, तुलसीपुर।
28	मे0 ठाकुर संत बक्श सिंह फिलिंग सेन्टर	ग्राम बहादुरापुर, सिरसिया।
29	मे0 स्वंतन्त्रता संग्राम सेनानी डीजल पम्प	ग्राम रेहरा बाजार।
30	मे0 हमारा पम्प महराजगंज	ग्राम महराजगंजतराई।

31	मे0 उमेश्वर फिलिंग स्टेशन	ग्राम मधुपुर उतरौला।
32	मे0 मॉ दुर्गा किसान सेवा केन्द्र	ग्राम रूधौली बुजुर्ग रेहरा बाजार
33	मे0 श्री बालाजी किसान सेवा केन्द्र	ग्राम इटईरामपुर, गैण्डास बुजुर्ग
34	मे0शिव किसान सेवा केन्द्र	ग्राम ललिया विकास खण्ड हर्रैयासतघरवा
35	मे0 सादुल्लानगर सर्विस स्टेशन	ग्राम सादुल्लानगर, बलरामपुर
36	मे0 श्री तिरूपति किसान सेवा केन्द्र	ग्राम पिपरा, बलरामपुर
37	मे0 सेठ पन्ना लाल फिलिंग स्टेशन	ग्राम शिवपुरा हर्रैयासतघरवा

जनपद में कार्यरत थोक मिटटी तेल विक्रेताओ की सूची

क्र0सं0	थोक मिटटी तेल विक्रेता का नाम	पता/स्थान
1	मे0 हमीरवासिया ब्रदर्स	भगवतीगंज, बलरामपुर।
2	मे0 आर0के0बी0के0	गनेशपुर, बलरामपुर।
3	मे0 गायत्री फिलिंग सेन्टर	गनेशपुर, बलरामपुर।
4	मे0 मिश्रा आयल कम्पनी	उतरौला, बलरामपुर।
5	मे0 आर0के0बी0के0	तुलसीपुर,बलरामपुर।
6	मे0 सुखदेवदास नागरमल	तुलसीपुर बलरामपुर।
7	मे0 बृज मोहन लाल देवी प्रसाद	पचपेड़वा, बलरामपुर।

जनपद मे कार्यरत गैस एजेन्सियो की सूची

क्र0सं0	गैस एजेन्सी का नाम	पता/स्थान
1	मे0 राप्ती गैस सर्विस	आनन्दबाग, बलरामपुर।
2	मे0 श्री बालाजी इण्डेन गैस एजेन्सी	उतरौला, बलरामपुर।
3	मे0 जनसेवा ग्रामीण गैस वितरक,	टेढ़वा तप्पाबांक, महुवा बाजार, तहसील उतरौला, बलरामपुर।

जिला पुर्ति अधिकारी,
बलरामपुर।

कार्ययोजना चित्तौडगढ़ बांध विभाग

बांध पर कार्यरत कर्मचारियों का नाम

क्र0 सं0	बांध का नाम	दिन मे कार्यरत कर्मचारियों का नाम	रात मे कार्यरत कर्मचारियों का नाम
1	2	3	4
1	चित्तौड़गढ़ बांध	1. श्री राम प्यारे, बेलदार 2. श्री वेचन लाल,बेलदार 3. श्री अनिल कुमार, मेट 4. श्री मोहन कुमार, गेजरीडर दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।	1. श्री रिजवान, चौकीदार 2. श्री रामकुमार, चौकीदार दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।
2	कोहरगड्डी	1. श्री अली अकबर, मेट दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।	दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।
3	मझगवां	1. श्री राम प्रसाद, मेट दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।	1. श्री राजकुमार, बेलदार दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।
4	भगवानपुर	1. श्री बसीर, बेलदार 2. श्री नीरज आर्य, मेट दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।	1. श्री राम सुमिरन, बेलदार दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।
5	बधेलखण्ड	1. श्री सियाराम, बेलदार दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।	1. श्री राम सागर, मेट दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।
6	गनेषपुर	1. श्री कृश्ण प्रताप मल्ल, टिण्डैल दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।	1. श्री जंग बहादुर, बेलदार 2. श्री महेष कुमार, मेट दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।
7.	गिरगिटही	1. संजीव कुमार सिंह, मेट 2. नागेष्वर टिण्डैल दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।	1. श्री महादेव बेलदार 2. श्री प्रताप बहादुर सिंह, बेलदार दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।
8.	खैरमान	1. श्री राजू प्रसाद, मेट दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।	1. श्री सुन्दर, मेट दैनिक श्रमिक यथासमय विभाग द्वारा नामित करके लगाया जायेगा।

तालाब एवं पोखरो को भरे जाने हेतु लक्ष्य (फसल खरीफ 1423 फसली वर्श 2015–16)

क्र0 सं0	राजस्व मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जलाष्य का नाम जिनके कमाण्ड में तलाब/पोखर स्थित है	जलाष्य के नहर प्रणाली के कमान्ड में स्थित तालाबो की संख्या	जलाष्य में वर्तमान उपलब्ध जल लाइव स्टोरज क्षमता प्रतिषत में	उपलब्ध जल से भरे जाने वाले तालाबो का लक्ष्य (सं0)
1	2	3	4	5	6	7
1	देवीपाटन मण्डल, गोण्डा	बलरामपुर	चित्तौड़गढ़ बांध	52	65 प्रतिषत	45
			कोहरगड्डी	07	25 प्रतिषत	06
			मझगवां	04	12 प्रतिषत	02
			भगवानपुर	10	10 प्रतिषत	07
			योग :–	73	–	60

वर्श 2015–16 में आंवटन

क्र0 सं0	कार्या का नाम	प्राप्त आवंटन (लाख रू0)	मद का नाम
1	2	3	4
1	चित्तौड़गढ़ बांध	2.40	94/2701
2	कोहरगड्डी	5.25	94/2702
3	मझगवां		94/2702
4	भगवानपुर		94/2702
5	बधेलखण्ड		94/2702
6	गनेषपुर		94/2702
7	गिरगिटही		94/2702
8	खैरमान		94/2702

ज्लाशय एवं उससे निकलने वाले नहरों की सुरक्षा हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम

क्र0 सं0	कार्या का नाम	सहायक अभियन्ता का नाम	अवर अभियन्ता का नाम
1	2	3	4
1	चित्तौड़गढ़ बांध	श्री वी0पी0 सिंह	श्री अबरार खाँ (बाया पार्ष्व), श्री अबरार खाँ (दाया पार्ष्व)
2	कोहरगड्डी	श्री वी0पी0 सिंह	श्री अबरार खाँ
3	मझगवां	श्री वी0पी0 सिंह	श्री पवन कुमार
4	भगवानपुर	श्री वी0पी0 सिंह	श्री पवन कुमार
5	बधेलखण्ड	श्री वी0पी0 सिंह	श्री चौधरी
6	गनेषपुर	श्री वी0पी0 सिंह	श्री चौधरी
7	गिरगिटही	श्री दयानाथ प्रसाद	श्री चौधरी
8	खैरमान	श्री दयानाथ प्रसाद	श्री चौधरी

अधिषासी अभियन्ता
चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड
बलरामपुर

नलकूप खण्ड–बलरामपुर।

वर्श 2015–16 में सूखा राहत कार्यों की तैयारी एवं कार्य योजना

जनपद–बलरामपुर में दिनांकः 01.4.2015 में 09 अदद विकासखण्डों में कुल 319 अदद राजकीय नलकूप स्थापित है। सूखा से निपटने के लिए इस खण्ड की कार्य योजना निम्नानुसार प्रेषित है :–

01. सूखा से पूर्व की कार्य योजना :–

इस खण्ड में उपलब्ध स्पेयर्स पम्पसेट्स को मरम्मत कराकर स्टोर में रखवा दिया जायेगा। जिससे अल्पतम् समय में दोष से बन्द नलकूपों को तुरन्त चालू किया जा सके। जिला योजना वर्ष 2015–15 के अन्तर्गत 06अदद नलकूपों के पक्की गूलों का पुनरोद्धार कार्य बेहतर सिंचाई सुविधा हेतु करा दिया गया है तथा 07 अदद पी0वी0सी0 पाइप लाईन वाले नलकूपों पर कुलावों के मरम्मत का कार्य कराया गया है। वार्षिक अनुरक्षण मद के अन्तर्गत भी आवंटित धनराशि में से नलकूपों के गूलों/पी0वी0सी0 पाइप लाईन का कार्य करा दिया गया है। समस्त क्षेत्रीय कर्मचारी जैसेः– अवर अभियन्ता/सेक्शन मिस्त्री से नलकूपों को चेक कराकर सुनिश्चित किया जायेगा, कि सभी नलकूप ठीक प्रकार से कार्य करें तथा उनमें कोई छोटी–छोटी कमियाँ न रहे।

02. सूखा के दौरान की कार्य योजना :–

इस कार्य हेतु यह प्रयास किया जायेगा कि कोई नलकूप की बन्दी लम्बी अवधि तक बड़ी खराबी जैसे– पम्पसेटों के दोषों आदि से बन्द न हो, जिसके लिए उपरोक्त प्रस्तर में उल्लेख किया जा चुका है। साथ ही यदि कोई नलकूप विद्युत दोष से बन्द होता है, तो उसके लिए विद्युत विभाग से निरन्तर सम्पर्क कर/समन्वय बनाकर यथाशीघ्र सिंचाईरत् कराया जायेगा। अवर अभियन्ताओं एवं सेक्शन मिस्त्रियों से कार्यक्रम बनाकर नलकूपों का सघन चेकिंग का कार्य कराया जायेगा। जिससे नलकूपों की बन्दी इत्यादि को तुरन्त अटेन्ड किया जा सके। विद्युत विभाग से नलकूपों पर अधिकतम विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु समन्वय बनाया जायेगा।

03. सूखा के उपरान्त की कार्य योजना :–

शासन/विभाग द्वारा राहत के सम्बंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड–बलरामपुर।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM, BALRAMPUR

(URBAN AREA)

REPORT

1. The Contingent Plan for Draught Relief works in district Balrampur has been perpared in compliance and instructions issued by the District Magistrate Balrampur, circulated vide his letter No. 4311/C.R.A. (Davi Apda – Sukha Rahat Action Plan)/15 Dated 28-5-2015

2. The Estimate has been prepared under Draught Relief Work programme.

3. The following Works have been proposed to be executed under this programme.

(i) Special repairing of India Mark-II H.P. - 50 Nos.

4- The Estimate Amounting **Rs.** 1-75 **Lacs** is hereby submitted for your kind approval and allotment of funds.

EXECUTIVE ENGINEER

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM, BALRAMPUR

(URBAN AREA)

FORM - "J"

Sl. No.	Description of Work	Amount
1	2	3
1-	Cost of Work	Rs. 1-75 Lacs.
	Total	**Rs. 1-75 Lacs.**

ASSISTANT ENGINEER **EXECUTIVE ENGINEER**

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM, BALRAMPUR

(RURAL AREA)

REPORT

1. The Contingent Plan for Draught Relief works in district Balrampur has been perpared in compliance and instructions issued by the District Magistrate Balrampur, circulated vide his letter No. 4311/C.R.A. (Davi Apda – Sukha Rahat Action Plan)/15 Dated 28-5-15

2. The Estimate has been prepared under Draught Relief Work programme.

3. The following Works have been proposed to be executed under this programme.

.

(1)	Special repairing of India Mark-II H.P.		450 Nos.
(2)	Rebore of India Mark-II H.P. .	-	90 Nos.

4- The Estimate Amounting **Rs. 46-53 Lacs** is hereby submitted for your kind approval and allotment of funds.

EXECUTIVE ENGINEER

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM, BALRAMPUR

(RURAL AREA)

FORM - "J"

Sl. No.	Description of Work	Amount
1	2	3
1-	Cost of Work	Rs. 46-53 Lacs.
	Total	**Rs. 46-53 Lacs.**

ASSISTANT ENGINEER **EXECUTIVE ENGINEER**

प्रेशक,

अधिषासी अभियन्ता,
सरयू नहर खण्ड–2,
बलरामपुर।

प्रेशित,

अपर जिलाधिकारी / प्र0अ0(दै0आ0)
बलरामपुर।

पत्रांक 366 / स0न0ख0–2 / सूखा / दिनांक– 12.6.2015

विशयः– जिला स्तरीय सूखा राहत कार्य योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विशयक का अवलोकन करें। इस क्रम में सूखा की स्थिति से निपटने के लिए 06 तालाबों को नहर संचालन कर भराये जाने का लक्ष्य है। तालाबों का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	नहर का नाम	ग्राम सभा	परगना / तहसील	जनपद	तालाब के गाटा संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	विराहिमपुर रजवाहा	महादेवमिश्र	बलरामपुर	बलरामपुर	1525
2.	विराहिमपुर रजवाहा	गंगापुर	बलरामपुर	बलरामपुर	625 व 652
3.	विराहिमपुर रजवाहा	लुचुइया	बलरामपुर	बलरामपुर	541
4.	अमरहवा माइनर	जमुनही	बलरामपुर	बलरामपुर	144 व 164
5.	महदेइया रजवाहा	पटियाला ग्रन्ट	उतरौला	बलरामपुर	221
6.	बनगंवा माइनर	अगया बुजुर्ग	उतरौला	बलरामपुर	620 व 641

अधिषासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–द्वितीय,
बलरामपुर

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता

सरयू नहर खण्ड–4, बलरामपुर

पत्रांक /स0न0ख.4/सूखा/ दिनांक : 2015

विशय : सूखा राहत कार्य योजना वर्ष 2015 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक–2740/सी0आर0ए0(दै0आ0–सूखा राहत कार्ययोजना/13/दिनांक : 29.05.2015

अपर जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि सरयू नहर खण्ड–4, बलरामपुर में जनपद बलरामपुर में सरयू परियोजना के बस्ती षाखा के किमी0. 76.230 से 94.600 तक की नहर एवं उसकी प्रणाली तथा बस्ती षाखा के किमी0. 55.600 के बायें किनारे से निकलने वाली उतरौला राजवाहा का कार्य प्रभार है।

बस्ती षाखा :– इस खण्ड का कार्य प्रभार उतरौला–गोण्डा मार्ग ;ज्ञउण् 76ण्230द्ध से बलरामपुर–सिद्धार्थनगर सीमा के मध्य अवस्थित है। नहर एवं इसका संपूर्ण कमाण्ड उतरौला तहसील बलरामपुर में पड़ता है। षाखा के इस रीच के प्रारंभ में 90 क्यूमेक का प्रवाह है तथा इस भाग का कुल ब्। 22310 हे0 है। नहर का यह भाग निर्मित है परंतु अनेक स्थानों पर इसका तल एवं बैंक प्रस्तावित लेवेलस से कम–ज्यादा है। षाखा के बायें तट से दिलावलपुर राजवाहा (गरीबनगर अल्पिका, बैथुइया अल्पिका) एवं उदयपुर राजवाहा (गहरौला अल्पिका) निकलती है। षाखा के दाहिने तट से हुसैनाबाद राजवाहा (मानापार बहेरिया अल्पिका, बंजरिया अल्पिका एवं बिलरिया अल्पिका), इटईरामपुर राजवाहा (धुसवा अल्पिका, मलिया अल्पिका), नरायणपुर अल्पिका एवं बैषडीह अल्पिका निकलती है।

बस्ती षाखा के इस भाग की नहरों से वर्तमान में आंषिक सिंचाई ही संभव है।

उतरौला राजवाहा :– उतरौला रावजाहा का षीर्श प्रवाह 12 क्यूमेक, कुल लम्बाई 41.5 किमी0 है एवं कुल सिंचन क्षमता 9360 हे0 है। यह नहर बलरामपुर तहसील एवं उतरौला तहसील में अवस्थित है इस नहर का निर्माण कार्य प्रगति में है। इस नहर से सेखुइया अल्पिका, भगौतापुर अल्पिका, गुलवरिया अल्पिका एवं बभनपुरवा अल्पिका निकलती है। उतरौला राजवाहा के किमी0. 5.730 पर एक महत्वूपर्ण साइफन का निर्माण कार्य प्रगति में है। वर्तमान में यह नहर 5.5 किमी0. तक चलती है। इसके निर्मित होने के उपरांत यह 19.5 किमी0. (चंदापुर ग्राम श्रीदत्तगंज में पहला गैप) तक चलने लगी है।

इस खण्ड के अन्तर्गत 07 तालाब भरे जाने का लक्ष्य था जो भर दिया गया है।

अधिषासी अभियन्ता

सरयू नहर खण्ड–4, बलरामपुर

सूखा राहत कार्ययोजना जिला उद्यान विभाग

प्रस्तावना

जनपद मे दैवी आपदा सूखा से निपटने हेतु जनपद के कृषको को राहत पहुचाने के उदेश्य से शाकभाजी उतपादन कार्य योजना वर्ष 2015–16 हेतु तैयार किया गया है। जिससे कृषको मे उनके द्वारा निजी भूमि पर शाकभाजी उत्पादन कर विक्रय कर आय मे बृद्वि किया जा सकेगा। तथा उनके रोटी रोजी सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो सकेगा ,कार्यक्रम मे विभागीय मानक के अनुसार फसलवार संकर मिर्च, संकर भिण्डी, कुकुरविट्टस हल्दी प्रजाति ,शाकभाजी मधुमक्खी पालन तैयार कराये जाने हेतु प्रति हेक्टेयर लागत इकाई का 50 प्रतिशत सामग्री अंश जैसे–खाद, बीज कीटनाशक दवा, सिंचाई हेतु डीजल अन्य निवेश अनुदान के अनर्तगत दिया जायेगा। तथा कृषको द्वारा श्रमांश व्यय (आपरेशनल कास्ट) स्वंय किया जायेगा।

कार्यक्रम जनपद के सभी विकास खण्डो मे समान रुप से लक्ष्यो का निर्धारण किया गया है। सम्बन्धित विकास खण्डो मे सूखा पड़ने पर निश्चित क्षेत्रो के गांवो/कृषको के ग्राम सभाओं मे बैठक कराते हुए कृषको का चयन कर आवेदन पत्र तथा खेत का नकल प्राप्त कर चयन कर लिया जायेगा। तथा निवेशो की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं/अर्द्वशासकीय संस्थाओं से विभागीय नियमानुसार क्रय कर उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः सूखा राहत कार्यक्रम पर प्रस्तावित कार्य योजना मे कुल धनराशि रु0 53.5196 लाख की आवश्यकता है। जो विभागीय योजनाओ से कार्यक्रम को पूरा किया जायेगा।

सूखा राहत योजनान्र्तगत संकर शाकभाजी उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2015–16

योजनान्र्तगत फसलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जनपद बलरामपुर

क्र0सं0	फसल का नाम	इकाई क्षे0 हे0	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य लाख
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	संकर मिर्च	हे0	18	6.75
2	संकर भिण्डी	हे0	36	8.76960
3	कुकुरविट्टस	हे0	36	18.00
4	हल्दी	हे0	100	12.00
5	मधुमक्खी पालन यनिट	यूनिट	100,यूनिट	8.00
	योग –		**290**	**53.51**

सूखा राहत योजनान्तर्गत संकर शाकभाजी उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2015

योजनान्तर्गत विकास खण्ड एवं फसलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जनपद बलरामपुर

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	इकाई	चयनित फसलोन्तर्गत भौतिक हे0 मे एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रु0											
			संकर मिर्च		संकर भिण्डी		कुकुरविट्टस		हल्दी		मधुमक्खी पालन		योग	
			भौ0 लक्ष्य	वि0 लक्ष्य	भौ0 लक्ष्य	वि0 लक्ष्य	भौ0 लक्ष्य	वि0 लक्ष्य	भौ0 लक्ष्य	वि0 लक्ष्य	भौ0 लक्ष्य	वि0 लक्ष्य	भौ0 लक्ष्य	वि0 लक्ष्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**8**	**9**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	बलरामपुर	हे0	2	0.75	4	0.9744	4	2.00	20	2.40	20	1.60	10	7.7244
2	हरैयासतघरवा	हे0	2	0.75	4	0.9744	4	2.00	10	1.20	10	0.80	10	5.7244.
3	तुलसीपुर	हे0	2	0.75	4	0.9744	4	2.00	10	1.20	10	0.80	10	5.7244
4	गैसड़ी	हे0	2	0.75	4	0.9744	4	2.00	10	1.20	10	0.80	10	5.7244
5	पचपेड़वा	हे0	2	0.75	4	0.9744	4	2.00	10	1.20	10	0.80	10	5.7244
6	श्रीदत्तगंज	हे0	2	0.75	4	0.9744	4	2.00	10	1.20	10	0.80	10	5.7244
7	उतरौला	हे0	2	0.75	4	0.9744	4	2.00	10	1.20	10	0.80	10	5.7244
8	गैड़ासबुर्जुग	हे0	2	0.75	4	0.9744	4	2.00	10	1.20	10	0.80	10	5.7244
9	रेहराबाजार	हे0	2	0.75	4	0.9744	4	2.00	10	1.20	10		10	5.7244
	योग –		**18**	**6.75**	**36**	**8.76960**	**36**	**18.00**	**100**	**12.00**	**100**	**18.00**	**90**	**53.5196**

जिला उद्यान अधिकारी
बलरामपुर

संकर मिर्च की खेती इकाई लागत प्रति हेक्टयर वर्ष 2015

क्र0 सं0	मद	मात्रा	दर रु0 में	इकाई लागत	देय अनुदान (रु0 मे)
1	2	3	4	5	6
1	बीज सामग्री	250 ग्रा.	42000/किग्रा.	10500	10500
2	गोबर की खाद	30 टन	300/टन	9000	2000
3	उर्वरक (एन0पी0के0)/जैवउर्वरक/शूक्ष्म पोषण तत्व			6800	6800
4	पौध रक्षा सामग्री			6000	5000
5	सिंचाई व्यवस्था			3250	3200
6	लोटनल पालीहाउस	15	1000/टनल	15000	10000
7	आपरेशनल कास्ट			25500	–
	योग –			**76050**	**37500**

संकर भिण्डी की खेती इकाई लागत प्रति हेक्टयर वर्ष 2013

क्र0 सं0	मद	मात्रा	दर रु0 में	इकाई लागत	देय अनुदान (रु0 मे)
1	2	3	4	5	6
1	बीज सामग्री	5 किग्रा.	2100/–	10500	10500
2	गोबर की खाद	200 कुं0	30/–	6000	6000
3	उर्वरक (एन0पी0के0)/जैवउर्वरक/शूक्ष्म पोषण तत्व			6000	6000
4	पौध रक्षा सामग्री			500	500
5	सिंचाई व्यवस्था			1360	1360
6	आपरेशनल कास्ट			2100	–
	योग –			**45360**	**24360**

संकर लौकी की खेती इकाई लागत प्रति हेक्टयर वर्ष 2013

क्र0 सं0	मद	मात्रा	दर रु0 में	इकाई लागत	देय अनुदान (रु0 मे)
1	2	3	4	5	6
1	बीज सामग्री	1.5 किग्रा.	4400/किग्रा.	6600	6600
2	गोबर की खाद	20 टन	300/टन	6000	2000
3	उर्वरक (एन0पी0के0)/जैवउर्वरक/शूक्ष्म पोषण तत्व			5480	3400
4	पौध रक्षा सामग्री			5000	5000
5	सिंचाई व्यवस्था	1	40000	3575	3000
6	मचान	15	1000/टनल	40000	20000
7	लोटनल पालीहाउस			15000	10000
8	आपरेशनल कास्ट			25000	–
	योग –			**106655**	**50000**

संकर नसदार तरोई की खेती इकाई लागत प्रति हेक्टयर वर्ष 2013

क्र0 सं0	मद	मात्रा	दर रु0 में	इकाई लागत	देय अनुदान (रु0 मे)
1	2	3	4	5	6
1	बीज सामग्री	1.5 किग्रा.	4400/किग्रा.	10800	10800
2	गोबर की खाद	20 टन	300/टन	6000	2000
3	उर्वरक (एन0पी0के0)/जैवउर्वरक /शूक्ष्म पोषण तत्व			5480	5400
4	पौध रक्षा सामग्री			5000	3200
5	सिंचाई व्यवस्था	1	40000	3575	2600
6	मचान	15	1000/टनल	40000	16000
7	लोटनल पालीहाउस			15000	10000

8	आपरेशनल कास्ट			25000	–
	योग –			**110855**	**50000**

जिला उद्यान अधिकारी, बलरामपुर

सूखा से निपटने सम्बन्धी कार्ययोजना

सभी राजकीय व निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित करायी जायेगी तथा विद्युत भण्डार केन्द्र, बलरामपुर में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने के लिए परिवर्तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
बलरामपुर।

सूखा राहत कार्ययोजना नगर पालिका परिषद बलरामपुर वर्ष 2015

1. ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण नगर के सुदूर क्षेत्रों में इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प से जो जल प्राप्त होता है उसके सूख जाने की सम्भावना बनी रहती है जिसको पूर्व से ही निरीक्षण कराकर इण्डिया मार्का–।। ठीक करा लिया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का पेयजल संकट उत्पन्न न हो।

2. निकाय में वर्तमान समय में 04 शिरोपरि जलाशय, 08 ट्यूवेल, 04 पानी टैंकर कार्यरत हैं, सभी ट्यूवेल क्रियाशील है, सुदूर क्षेत्रों में यदि कही पानी की कमी की समस्या पायी जायेगी तो वहॉ टैंकरों से जलापूर्ति की जायेगी। यद्यपि कि अभी तक नगर में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, पर्याप्त मात्रा में ट्यूवेलों द्वारा जलापूर्ति की जाती है।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
बलरामपुर।

सूखा राहत कार्ययोजना नगर पचायत पचपेड़वा वर्ष 2015

3. ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण नगर के सुदूर क्षेत्रों में इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प से जो जल प्राप्त होता है उसके सूख जाने की सम्भावना बनी रहती है जिसको पूर्व से ही निरीक्षण कराकर इण्डिया मार्का–।। ठीक करा लिया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का पेयजल संकट उत्पन्न न हो।

4. निकाय में वर्तमान समय में 01 शिरोपरि जलाशय, 05 ट्यूवेल, 02 पानी टैंकर कार्यरत हैं, 03 ट्यूवेल क्रियाशील है एवं 02 ट्यूवेल रिबोर योग्य हैं, सुदूर क्षेत्रों में यदि कही पानी की कमी की समस्या पायी जायेगी तो वहॉ टैंकरों से जलापूर्ति की जायेगी। यद्यपि कि अभी तक नगर में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, पर्याप्त मात्रा में ट्यूवेलों द्वारा जलापूर्ति की जाती है।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
पचपेड़वा

सूखा राहत कार्ययोजना नगर पचायत तुलसीपुर वर्ष 2015

हैण्ड पम्प/सरकारी नलकूपो की स्थिति

क्रमांक	मद	कुल संख्या	स्थायी रूप से खराब की संख्या	मरम्मद योग्य		अभ्युक्ति
				15 दिन से कम खराब की संख्या	15 दिन से अधिक खराब की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1	हैण्ड पम्प (स्थानीय निकाय)	70	37	-	37	खराब पड़े हैण्डपम्प रिबोर योग्य है।
2	सरकारी नलकूप (स्थानीय निकाय)	04	01	-	01	एक नलकूप फेल हो चुका है। जिसके रिबोर का कार्य जलनिगम बलरामपुर द्वारा किया गया जो गंदा पानी आने के कारण बंद है।

मद	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र/स्थानीय निकाय	अभ्युक्ति
जनपद में रिबोर किये जाने वाले हैण्ड पम्पों की संख्या	-	37	-
उक्त के लिए आवश्यक धनराशि (लाख रू0 में।)	-	-	-
जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि (लाख रू0 में)	-	-	-
अब तक रिबोर किये गये हैण्ड पम्पों की संख्या	-	-	-
रिबोर करने हेतु अवशेष हैण्डपम्पों की सख्या	-	37	-

क्रमांक	निकाय	पेयजल समस्या से ग्रस्त	महामारी प्रभावित	पशुरोग प्रभावित	चारे की कमी
1	नगर पंचायत तुलसीपुर	-	-	-	-

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत तुलसीपुर
जनपद–बलरामपुर

सूखा राहत कार्ययोजना नगर पालिका परिषद उतरौला वर्ष 2015

सूखा राहत कार्ययोजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद उतरौला में पेयजल के प्रबन्धन का विवरण निम्नवत हैः–

1. नगर क्षेत्र में लगा इण्डिया हैण्ड पम्प की संख्या 172 चालू हालत में 170 हैण्डपम्प तथा रिबोर 02 है।
2. सार्वजनिक नल (वाटर सप्लाई के अन्तर्गत संख्या–28)
3. चालू नलकूप की संख्या–04

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ।। हैण्डपम्प लगे है। जो चालू हालत में है। वाटर सप्लाई के अन्तर्गत सार्वजनिक नल भी लगें है साथ ही 04 नलकूप चालू हालत में है। जिससे जलापूर्ति का कार्य कराया जा रहा है। नगर के किसी क्षेत्र में पेयजल का संकट नही है। इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प में क्षुद्र खराबी आने पर उसे तत्काल ठीक कराया जाता है। पाइप लाइन की लीकेजों को भी तत्काल ठीक कराया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध करना है कि 01 पुराना नलकूप कई वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है। यदि जल निगम द्वारा उसे रिबोर कराकर सक्रिय कर दिया जाय तो जलापूर्ति व्यवस्था में और सुधार सम्भव हो सकें। वैसे नगर में आम नागरिको द्वारा अपने सुविधा अनुसार छोटे हैण्डपम्प लगायें गये है जिससे भी पेयजल सुलभ है। इस प्रकार नगर पालिका परिषद उतरौला में सूखा राहत के अन्तर्गत नगर में पेयजल का कोई संकट नहीं है। न ही कोई शिकायत प्रकाश में आयी है। निकाय में पेयजल की सुलभता हेतु 02 वाटर टैंकर भी उपलब्ध है।

अतः वांछित कार्य योजना वर्ष 2013 सेवा में अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी/उप जिलाधिकारी
नगर पालिका परिषद
उतरौला–बलरामपुर।

सूखा की स्थिति में कृषि विभाग की संस्तुतियॉ

क्र0	मौसम की दशा	फसल ली जाने वाली प्रजातियों का नाम
1	वर्षा समय से प्रारम्भ होने के बाद लम्बा अन्तराल होने की दशा मेंः–	ऐसी दशा में फसलों की बुवाई/रोपाई समय से तो हो जाती है, उसके पश्चात सूखा/अवर्षण की लम्बी अवधि मे प्रर्याप्त नमी न होने की स्थिति में फसलें अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही सूखने लगती है। अतः आवश्यक है किः– 1–जब तक प्रर्याप्त वर्षा न हो बुवाई प्रारम्भ न करें। 2–यदि बुवाई में विलम्ब हो रहा हो तो कम अवधि की सूखा सहनशील प्रजातियों की बुवाई की जाय। 3–फसलों में घने पौधों का विरलीकरण(थिनिंग),खरपतवारों को रूकने हेतु अन्तकर्षण एवं मल्च का प्रयोग किया जाय। फसल में पौध संख्या कम रखी जाय, तथा मल्च के रूप में बायोमास(जैव उत्पाद)का प्रयोग किया जाय। 4–जीवन रक्षक सिंचाई हेतु क्यारी अथवा बरहा विधि अथवा एकान्तर पंक्ति विधि को अपनायें। 5–खेतो तालाबों,पोखरों एवं झीलों इत्यादि में पानी का संरक्षण किया जाय, जिससे फसल की क्रान्तिक बृद्धि की दशाओं में उन्हें सिंचित किया जा सके। 6–संग्रहीत/एकत्रित किये गये जल का दक्ष सिंखाई विधियॉ अपनाकर फसलों को बचायें। 7–फसलों द्वारा जल हानि को कम करने के लिए ज्वार,मक्का,तथा गन्ने की पुरानी पत्तियों को पौध से अलग कर उन्हें मल्च के रूप में प्रयोग करें। 8–पोषक तत्वों (नत्रजन) का घोल बनाकर(2 प्रतिशत यूरिया) परणीय छिड़काव किया जाय। 9–खेतों की जुताई धान के लम्बत दिशा में किया जाय। 10–नहरों/नलकूपों की नालियों को ठीक दशा में रखा जाय, जिससे उपलब्ध सिंचाई जल की कम से कम क्षति हो। 11–संकेन–बेड विधि से धान एवं उरद/अरहर की सह–फसली खेती की जाय।
2–	वर्षा विलम्ब से शुरू होने की दशा(मानसून देर से आना):–	इसमें प्रायः सामान्य तिथि से 3 सप्ताह या उससे अधिक समय पश्चात वर्षा शुरू होती है। फसलों की बुवाई/रोपाई प्रभावित होने के साथ उत्पादकता में भारी कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति मेंः– 1–पौध खराब होने व विलम्ब से मानसून आने की स्थित में स्री पद्धति से धान की खेती की जाय, इसके लिए कम अवधि की 8–12 दिन की 2–3 पत्तियों वाली एक पौध 25–25 सेमी0 पंक्ति एवं पौधों की दूरी पर 2–3 सेमी0 की गहराई पर रोपाई की जाय। स्री विधि से एक हेक्टेयर की रोपाई हेतु मात्र 1000 वर्ग फुट होना चाहिए तथा 5–6किग्रा0बीज एक हेक्टेयर की रोपाई हेतु प्रर्याप्त होगा। नर्सरी में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करें। जैविक ढंग से खेती की जाय, खरपतवार नियन्त्रण हेतु कोनोविडर का प्रयोग किया जाय। 2–धान की नर्सरी 15 दिन के अन्तराल पर तैयार की जाय तथा नर्सरी में आवश्यकता से अधिक क्षेत्र रखा जाय ताकि विसम परिस्थितियों में उचित अवस्था की प्रर्याप्त पौध उपलब्ध रहे। 3–यदि वर्षा कुछ विलम्ब से अर्थात 30 जून के बाद प्रारम्भ होती है, ऐसी स्थिति में धान की मध्यम अवधि की प्रजातियों जैसे सरजू–52, नरेन्द्र–359,पी0एन0आर0–381,नरेन्द्र–2064,नरेन्द्र–2026 तथा नरेन्द्र–312 का चयन किया जाय।

		4–यदि वर्षा 10 जुलाई के बाद अर्थात अधिक विलम्ब से प्रारम्भ होती है, तो उस स्थिति में धान की कम अवधि की संस्तुति प्रजातियों जैसे–नरेन्द्र–97,118,80 गोबिन्द,साकेत–4, आई0आर0–36 तथा पन्त–12 वारानी,द्वीप शुष्क सम्राट तथा नरेन्द्र लालमति का चयन किया जाय, तथा बिलम्ब की दशा में 10 अगस्त तक सीधे बुवाई किया जाय। 5–यदि वर्षा अति विलम्ब से प्रारम्भ होती है और जुलाई माह में धान की रोपाई/बुवाई न होने के कारण खेत खाली रह जाते हैं तो उस दशा में उपरहार क्षेत्रों में कम समय में तैयार होने वाली बाजरें एवं ज्वार की संकुल प्रजातियों तथा उर्द,मूँग एवं तिल की बुवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाय। 6–अति बिलम्ब से वर्षा की स्थिति में बीज दर 20–25 प्रतिशत बढ़ा दी जाय तथा धान की घनी रोपाई करायी जाय। 7–मानसून के अतिबिलम्ब की दशा में तथा खरीफ फसलों की बुवाई/रोपाई न हो पाने की दशा में तोरिया,आलू एवं सरसो इत्यादि जैसी रबी फसलों की सिघ्र बुवाई संस्तुत है, क्योंकि इससे उपलब्ध नमी का संरक्षण भी होगा। 8–रबी के सामान्य फसलों के स्थान पर तोरिया,अगेती आलू,सरसो,चना,मसूर इत्यादि की बुवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जायं 9–सूखा के प्रति सहन–शीलता बढ़ाने हेतु 2.5किग्रा0 यूरिया एवं 2.5किग्रा0पोटाश का छिड़काव करें। 10–नमी संरक्षण हेतु पेड़ों के चारों ओर थाले बनायें तथा मल्च का प्रयोग करें।
3–	वर्षा का बीच–बीच में रूकने(सूखा/अवर्षण) की स्थितिः–	अवर्षण की अवधि 2–3 सप्ताह या अधिक होने के कारण बोई गयी फसलें सूखने लगती हैं, तथा उत्पाकता में भारी कमी आ जाती है अतः खड़ी फसल को बचाने हेतु निम्न उपाय लाभकारी होगें:– 1–अवर्षण/सूखा के कारण जिन खेतो की फसलें सूख गयी हों, उनमें बाद में वर्षा हाने पर कम समय पर तैयार होने वाली संकुल बाजरा,ज्वार,उर्द,मूँग तथा तिल की बुवाई की जाय। 2–अवर्षण/सूखा के कारण खेत खाली रह जाने अथवा फसलों के सूख जाने की दशा में बुवाई हेतु बिलम्ब से बोयी जाने वाली फसलों एवं फसल प्रजातियों का चयन किया जाय। बिलम्ब से बुवाई हेतु अगस्त के प्रथम सप्ताह तक उर्द की उत्तरा,टाइप–9,नरेन्द्र उर्द–1,पन्त–यू–35 एवं पन्त यू–19 प्रजाति 10–20 अगस्त तक, मूँग की बुवाई हेतु टाइप–44, पन्त मूँग–1,पन्त मूँग–2,सम्राट,मालवीय जनप्रिया, मालवीय जनचेतना,मालवीय ज्योति,एवं नरेन्द्र मूँग–1, अरहर की सितम्बर माह में बुवाई हेतु विकास, पूसा–9 एवं डी–11 तथा अण्डी(कैस्टर) की सितम्बर माह बुवाई हेतु टाइप–3,4 एवं कल्पी–6 प्रजातियों का चयन करें। 3–सूखा के प्रति सहन शीलता बढ़ाने हेतु 2.5 किग्रा0 यूरिया एवं 2.5किग्रा पोटाश का छिड़काव करें। 4–अगस्त माह के अन्तिम तक फसल सूख जाने अथवा बुवाई/रोपाई न हो पाने वाले खेतो में सितम्बर के प्रथम पखवारें में अगेंती राई/सरसो एवं तोरिया इत्यादि की बुवाई की जाय। 5–नमी एवं जल संरक्षण एवं प्रबन्धन की क्रियाओं को अपनाया जाय। 6–कैश क्राफ फसलों की बुवाई की जाय। 7–नहरों के अल्पिकावार रोस्टर तैयार करते समय क्षेत्र विशेष की परिस्थियों को ध्यान में रखा जाय। नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय तथा नहरों में अबैध कटानों पर नियन्त्रण

		कराया जाय। 8–राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखा जाय,तथा खराब होने वाले नलकूपों की त्वरित मरम्मत का प्रबन्धन हो। डीजल/विद्युत की नियमित एवं निर्विघ्न आपूर्ति करायी जाय।
4–	वर्षा/मानसून का समय से प्रारम्भ होकर समय से पहले समाप्त होने की स्थितिः–	ऐसी दशा में वर्षा 20 जून के आस–पास शुरू तो हो जाती है, लेकिन अगस्त के तीसरे सप्ताह या सितम्बर के प्रारम्भ में ही समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में खरीफ की प्रमुख फसल धान का भारी क्षति होती है। अतः निम्न उपाय श्रेयस्कर होगें:– 1–नमी संरक्षण तथा जल प्रबन्धन की क्रियायें अपनायी जायॅ। 2–सग्रहित/एकत्रित जल का समुचित उपयोग फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई हेतु किया जाय। 3–दलहन,तिलहन,धान,ज्वार,मक्का,बाजरा इत्यादि की कम अवधि की प्रजातियों की बुवाई की जाय। 4–रबी एवं अगेती रबी की फसलों की तैयारी करें। 5–मक्का ज्वार,बाजरा इत्यादि की पुरानी/निचली पत्तियों को निकाला जाय साथ ही इन्हे मल्च के रूप में प्रयोग किया जाय। 6–सिंचाई जल की हानि न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त नियन्त्रित सिंचाई विधियों तथा ड्रिप एवं स्प्रिकलर सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग किया जाय। 7–नहरों/नलकूपों की नालियों को ठीक दशा में रखा जाय,तथा नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुॅचानें की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
5–	मनसूनी वर्षा के सामान्य से कम होने की सम्भावना की स्थितिः–	ऐसी स्थिति में सामान्य की अपेक्षा कम वर्षा होने का मई,जून माह में पूर्वानुमान प्रायः हो जाता है। स्वभाविक है कि कम वर्षा होने से खरीफ की फसलों की बृद्धि एवं उपज प्रभावित होती है। अतः उचित होगा किः– 1–फसल योजना में एक से अधिक फसलों का समावेष किया जाय,तथा एकल फसल की अपेक्षा मिश्रित फसलों के उगाने को प्राथमिकता दिया जाय। 2–कम अवधि की फसल एवं प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए। 3–फसल योजना में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का समावेश किया जाय। 4–जल संग्रहण के उपाय अपनायें तथा समुचित जल का सिंचाई हेतु उपयोग करें।

जिला कृषि अधिकारी
बलरामपुर।

सूखा राहत कार्ययोजना बाल विकास परियोजना
बाल विकास सेवा पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत निम्न चल रही है।

(1) पोषाहार

(2) हाटकुक्ड योजना

इस योजना के अन्तर्गत जनपद में 1882 आं0बा0 केन्द्रों का संचालन किया जाता है। जिसमें जिस ग्राम आगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जाते है उन ग्रामों के 06 माह से 03 वर्ष तथा 03 वर्ष 06 वर्ष सर्वे के अनुसार चयनित बच्चों एवं चयनित गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषाहार दिया जाता है। हॉट कुक्ड योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरमा–गरम भोजन की व्यवस्था की जाती हैं जो बाढ के समय भी बाढ से ग्रसित ग्रामों में इसकी व्यवस्था की जायेगी।

जनपद में निम्न संख्या में अधिकारी/कर्मचारीकार्यरत है। जो बाढ आपदा के समय इनसे कार्य लिया जा सकता है।

क्र0सं0	अधिकारियों की संख्या		कर्मचारियों की संख्या		योग
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
1	2	3	4	5	7
1.	05	02	15	29	51

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बलरामपुर।

तालाब/जलाशय में पानी की स्थिति वर्ष 2015–15

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	तालाब/ जलाशय की सं0	जल से भरे/भराये तालाबों की सं0	सूखे तालाबो की सं0	विकास खण्ड में तालाब जलाशय विहीन ग्रामो की सं0	कुल कूपो की सं0	पेयजल/ सिंचाई हेतु प्रयोज्य कूपो की सं0	निस्प्रयोज्य कूपो की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रेहराबाजार	86	86	0	0	160	40	120
2	बलरामपुर	607	607	0	0	1557	701	856
3	तुलसीपुर	110	110	0	0	348	112	236
4	गैण्डासबुजुर्ग	95	95	0	0	90	52	38
5	श्रीदत्तगंज	183	183	0	1	238	96	142
6	गैसड़ी	90	90	0	0	314	30	5
7	पचपेड़वा	79	79	0	3	79	30	50
8	हर्रैयासतघरवा	242	242	0	1	3612	0	3612
9	उतरौला	61	61	0	0	549	976	141
योग		**1553**	**1553**	**0**	**5**	**6947**	**2037**	**5200**

दैवी आपदा/जिला प्रबंधन योजना की कार्य योजना वर्ष 2015–15

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	श्रमिको की कुल सं0	सूखा राहत योजना के अर्न्तगत लाभान्वित कराये जाने वाले श्रमिको की सं0	प्रति श्रमिक प्रतिमाह 20 दिन से 4 माह तक रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर सुजित मानव दिवस	आवश्यक धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रेहराबाजार	10263	5500	440000	52.80
2	बलरामपुर	25802	11207	896560	1793.12
3	तुलसीपुर	24120	9356	748140	144.96
4	गैण्डासबुजुर्ग	2570	2140	214000	124.00
5	श्रीदत्तगंज	9990	304	36490	43.79
6	गैसड़ी	20878	7829	626340	751.608
7	पचपेड़वा	18127	8157	652572	783.09
8	हर्रैयासतघरवा	30450	2450	196000	245.00
9	उतरौला	9232	5500	440000	528.00
योग		**151432**	**52443**	**4250102**	**4466.37**

सूखा राहत कार्य योजना–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) बलरामपुर

1. सूखा राहत के समय परिवहन विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन विभाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अथवा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के निर्देशन में किया जायेगा।

2. सूखा राहत में वाहनों की आवश्यकता का आंकलन समय व स्थान सहित जिला सूखा राहत विभाग द्वारा किया जायेगा। जिसमें रिजर्व वाहनों की भी संख्या सम्मिलित होगी, तत्पश्चात् वह मांग–पत्र परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. मांग–पत्र प्राप्त होते ही वाहन अधिग्रहण फार्म पर्याप्त संख्या में तैयार करते हुए वाहनों की उपलब्धता सूखा राहत विभाग, बलरामपुर को उपलब्ध करा दी जायेगी।

4. उपलब्ध कराये गये वाहनों में नियमानुसार आपूर्ति विभाग द्वारा लॉगबुक, तेल आदि की व्यवस्था की जायेगी।

5. उपलब्ध कराये गये वाहनों में से बाढ़ राहत विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार वाहनों को अपनी देख–रेख में सम्बन्धित सूखा ग्रस्त क्षेत्र में भेज दिया जायेगा।

6. सूखा राहत योजना में लगे हुए समस्त वाहन अपना कार्य सुचारु रूप से पूर्ण करके आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को अपनी–अपनी लॉगबुक जमा करते हुए निज स्थल पर चली जायेंगी।

7. लॉगबुक के अनुसार वाहनों का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार किया जायेगा।

8. परिवहन विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का अदान–प्रदान विभाग के वरिष्ठ सहायक श्री यतेन्द्र कुमार द्वारा किया जायेगा। जिनका मोबाइल नम्बर– 9451047064 है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) बलरामपुर

स्वास्थ्य विभाग बलरामपुर द्वारा सूखे की न्यूनीकरण वर्ष 2015–16

प्रस्तावना

इस वर्ष गर्मी समय से पहले शुरू हो गई फलस्वरूप जन स्वास्थ्य पेयजल एवं संक्रामक रोगों के प्रसार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही संक्रामक रोगों का प्रसार आरम्भ हो जाता है तथा इसमा अत्यधिक प्रभाव माह जून से अगस्त के मध्य होता है। दूषित पेयजल, दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन तथा व्यक्तिगत एवं वातावरण की साफ–सफाई की कमी इन रोगों के प्रसार का मुख्य कारण है। जनता को शुद्ध क्लोरोनेटेड पेय जल की आपूर्ति कर, दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री को नियन्त्रित, जनता को इनके उपयोग से बचाने की सलाह देकर, व्यक्तिगत एवं आस–पास की साफ–सफाई रखकर तथा रोगों से बचने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा को प्रचार–प्रसार का संक्रमण रोगियों की संख्या को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। इसके साथ ही रोगियों/ग्रसितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर मृतकों की संख्या तथा रोग जटिलताओं में प्रभावी कमी लायी जा सकती है।

अत्एव दैवी सूखाराहत हेतु सफल कार्यान्वयन निम्नलिखित व्यापक एवं प्रभावी कार्यवाही करके रोक–थाम किया जा सकता है।

1. संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष की स्थापना
2. सचलदल की उपलब्धता
3. शुद्ध पेयजल की उपलब्धता
4. स्वास्थ्य शिक्षा

1. संक्रामक रोग नियंत्रण–कक्ष की स्थापना

(क) जनपद स्तर पर :–

जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कैम्प कार्यालय में जनपदीय संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिसमें उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी के नेतृत्व में चिकित्सीय दल आवष्यक औषधियों एवं विसंक्रमकों के साथ समय उपलब्ध रहते है जिसका फोन नं0 05263–233541 है।

(ख) सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र स्तर पर :–

जनपद के प्रत्येक सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र स्तर पर संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसमें अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में चिकित्सीय दल सभी आवष्यक औषधियों एवं विसंक्रमकों के साथ निरोधक/राहत कार्यवाही हेतु प्रत्येक समय उपलब्ध रहते है।

1. सचल दल की उपलब्धता

जनपद स्पर पर एवं समस्त सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रा स्तर पर चिकित्सा अधिकारी सहित चिकित्सीय दल आवष्यक औषधियों सहित प्रत्येक समय उपलब्ध रहते है एवं किसी प्रकार की संक्रामक रोग/दैवी आपदा की स्थिति में प्रभावित रोग के आवष्यक निरोधक/राहत कार्यवाही हेतु जाने के लिए तैयार रहते है।

2. शुद्ध पेयजल की उपलब्धता

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र स्तर पर पीने योग्य जलकूपों का विसंक्रमण कराया जा रहा है। वर्षा एवं उसके उपरान्त समस्त पेयजलकूपों का सुपर क्लोरीनेषन कराया जायेगा। समस्त सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र स्तर पर क्लोरीन टेबलेट समुचित मात्रा में उपलब्ध है। जनता को इण्डिया मार्का ¤ हैण्डपम्पों का पानी पीने हेतु सलाह दी जा रही है तथा साथ ही साथ पेयजल श्रोतों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए आस–पास सफाई रखने के बारे में सलाह दी जा रही है।

(ख) नगर पालिका परिषद् टाउन एरिया के अन्तर्गत क्षेत्र में जहाँ पेयजल की आपूर्ति पानी की टंकी एवं पाइप के माध्यम से की जा रही है। पेयजल की शुद्धता एवं क्लोरीनेषन हेतु सूचित किया जा रहा है। साथ ही ओवर हेड टैंकों की सफाई एवं उन स्थानों पर जहाँ पाइप लाइनें, सीवर लाइन/गन्दे नाले के पास से होकर जा रही है, की टूट–फूट, रिसाव, की खोज हेतु विषेष सतर्कता रखें जाने हेतु सूचित किया गया है।

3. चिकित्सीय व्यवस्था

दैवी आपदा/संक्रामक रोगों के स्थिति में पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों में कुषल चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध है तथा साथ ही प्रत्येक सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र स्तर पर सभी सवायें समुचित मात्रा में उपलब्ध है।

4. स्वास्थ्य शिक्षा

दैवी आपदा/संक्रामक रोगों के होने में ''क्या करें, क्या न करें'' के बारे में स्वास्थ्य षिक्षा का प्रसार किया जा रहा है ताकि संक्रामक रोगों से बचाव हो सके। प्रायः सूखे की स्थिति में लू लगने की सम्भावना अधिक होती है। लू लगने की स्थिति में तुरन्त उपचार हेतु निकट के सरकारी अस्पताल में रोगी को तुरन्त पहुँचायें ताकि समय से उपचार किया जा सके। सूखे में जल स्तर गिरने के कारण जल दूषित हो जाता है जिसमें उल्टी–दस्त की सम्भावना भी हो सकती है उनके रोकथाम हेतु पेयजल श्रोतों का विसंक्रमण किया जाता है, साथ ही रोगों के रोकथाम हेतु एन्टीबायोटिक्स, एन्टीडायरियल, एन्टीपायरेटिक और एन्टीवोमिटिक, ओ0आर0एस0 की व्यवस्था रहती है।

सम्भावित सूखे की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की राहत

कार्ययोजना वर्ष 2015 जनपद बलरामपुर।

माह अप्रैल 2015

(क) जनपद के समस्त पेय जल कूपों एवं हैण्डपम्पों का विसंक्रमणनियमित रूप से तीन चक्रों में पूर्ण किया जायेगा तथा प्रथम चक्र माह अप्रैल 2015में पूरा किया जायेगा **(ख)** नगरीय क्षेत्रों में जहाँ पेयजल की आपूर्ति पानीटंकी के द्वारा की जाती है, प्रतिदिन निर्धारित मात्रा में क्लोरीनेषन किया जायेगा। **(ग)** आपूर्ति किये जाने वाले पानी का प्रतिदिन ओ0टी0 टेस्ट कराया जायेगा एवं ऋणात्मक पाये जानेपर तत्काल पुनः क्लोरीनेषन कराया जायेगा। **2. रोग निरोधक/राहत कार्यवाही :** संक्रामक रोग से निपटने के लिए **(क)** समस्त सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों पर आवश्यक औषधियों एवं विसंक्रमकों की उपलब्धता **(ख) कर्मचारियों की उपलब्धता** **3. रोगियों की उपचार व्यवस्था :–** सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था **4. स्वास्थ्य षिक्षा :–** संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जनता में जागरूकता हेतु स्वास्थ्य षिक्षा विज्ञापन एवं हैण्ड बिल द्वारा व्यपक रूप से प्रचार प्रसार किया जायेगा।	**(क)** अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु0 /प्रा0स्वा0केन्द्रसुनिष्चित करेंगें **(ख)** नगर पालिका अध्यक्ष/सचिव, चेयरमैन सुनिश्चित करेंगें। **(ग)** सम्बन्धित अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु0/ प्रा0स्वा0केन्द्र सुनिश्चित करेंगें। **(क)** एस0एम0ओ0 भण्डार सुनिष्चित करेंगें। **(ख)** अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु0/ प्रा0स्वा0केन्द्र सुनिश्चित करेगें। अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/प्रा0स्वा0केन्दपचपेड़वा, तुलसीपुर, के द्वारा करायी जायेगी।शिवपुरा, उतरौला एवं सामु0स्वा0केन्द्र गैंसड़ी, बलरामपुर, महदेइया, रेहरा बाजार, एवं गैंड़ासबुजुर्ग सुनिश्चित करेंगें। प्रभारी जिला शिक्षा सूचना अधिकारी एवं सामु0/ प्रा0स्वा0केन्द्र के पर्यवेक्षक के द्वारा दी जायेगी।

जिला चिकित्सालय बलरामपुर

कुल शैय्या	ए0ई0 एस0 हेतु आरक्षित शैय्या	फिजीशियन	पीडियाट्रीशियन	पैथालोजिस्ट	कुल शैय्या	ए0ई0 एस0 हेतु आरक्षित शैय्या	फिजीशियन	पीडियाट्रीशियन
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद			स्वीकृत पद	कार्यरत पद
100	10	2	0	2	100	10	2	0

एलाइजा रीडर/क्रियाशील	कुल परीक्षण	पॉजिटिब	टिप्पणी
उपलब्ध/क्रियाशील	–	–	परीक्षक नियुक्त नहीं
अक्रियाशील	–	–	–

जनपद बलरामपुर में सम्भावित सूखा आपदा से निपटने हेतु पुलिस विभाग की कार्य–योजना

(1) सूखे स्थिति में धनाभाव रोजगार की कमी के कारण सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में वृद्धि की सम्भावना बनी रहती है ऐसी स्थिति में समस्त क्षेत्राधिकारी/प्र0नि0/थानाध्यक्ष को निर्देशत किया गया है कि सूखे की स्थिति में पुलिस का गश्त/पिकेट बढ़ा दिया जाय, ताकि सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध न होने पाये।

(2) सूखे स्थिति मे आग लगने की समस्या प्रबल होती है इससे निपटने के लिए प्रभारी अग्नि शमन को निर्देशित किया गया है कि वह समस्त अग्निशमन उपकरणों को क्रियाशील स्थिति में रखते हुए पर्याप्त मात्रा मे पानी का भण्डार व कर्मचारियों को तैयारी हालत मे रखें तथा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों से समन्वय स्थापित कर अधिक सेअधिक गावों में कार्यशाला लगा कर आग से बचाव के सम्बन्ध मे लोगो को जानकारी दें/जागरूक करें ।इस सम्बन्ध में प्रभारीजिला नियंत्रण कक्ष को निर्देशित किया गया है कि जनपद मे आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर सूचना देने वाले से उसका सम्पर्क नबर आग लगने का स्थान गाडी जाने हेतु मार्ग पानी के स्रोत की जानकारी कर तत्काल सभी सम्बन्धित को अवगत करायेंगें।

(3) आग लगने की स्थिति मे सम्बन्धित थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत व बचाव कार्य शुरू करेगे तथा उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास करेगें जिससे जन धन की हानि न होने पाये ।

(4) सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में मौजूदजलाश्यों /तालाबों तथा उनमे जल की उपलब्धता की स्थिति के सम्बन्ध में एक सूची तैयार कर अपने पास रखेगें जिससे कि आवश्यकता पडने पर अल्प समय में उसका उपयोग किया जा सके ।

(5) समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि थाना क्षेत्र मौजूद जलाश्यों एवं तालाबों का जल किसी अवांछनीय व्यक्ति /गतिविधियों द्वारा दूषित न किया जाय तथा अनावश्यक रूप से जलाश्यों /तालाबो के जल का दोहन न किया जाये।

(6) सूखे की स्थिति मे नहरों को काट कर अनावश्यक रूप से जल बर्बाद न किया जाय इस हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि नहरों पर विशेष गस्त की व्यवस्था करें ताकि जल की बरबादी रोकी जा सके।

(7) समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सूखे की स्थिति मे अपने अपने थाना क्षेत्र में सूखे की स्थिति फैलने वाली बीमारियों के बचाव हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक दवाओं के वितरण मे सहयोग प्रदान करें।

अपर पुलिस अधीक्षक,
बलरामपुर।

अग्निशमन सूखा प्रबन्धन योजना बलरामपुर

वर्ष 2015–16

अग्निशमन विभाग का आपदा प्रबन्धन मे अति महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अग्नि काड की स्थिति मे यह विभाग एवं इसके कुशल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करते है।

अग्नि शमन विभाग मे स्टाफ की स्थिति – सदर मुख्यालय

क्रम सख्या	नाम/पद नाम	स्वीकृत पद	उपलब्ध पद	रिक्त पद	योग
1	2	3	4	5	6
1	एफ0एस0ओ0 श्री अनिरूद्व प्र0एफ0एस0ओ0	1	1	0	1
2	एफ0एस0एस0ओ0	2	0	2	2
3	एल0एफ0एम0	3	3	0	3
4	एफ0एस0चालक	4	4	0	4
5	एफ0एम0	21	4	17	21
6	कुक/कहार	2	2	0	2
7	स्वीपर	1	1	0	1
8	ए0एस0आई0एम0	1	0	0	1

वाहन /मशीन

1.फायर टेन्डर–1
2.बोलेरो कैम्पट–1
3.पम्प 3
4.फायर हाइडेन्ट22
5.संचार माध्यम– वायर लेस सेट,सी0यू0जी0मोबाइल–9454418819, 9454418820 05263–234202

फायर स्टेशन तुलसीपुर

क्रम सख्या	नाम/पद नाम	स्वीकृत पद	उपलब्ध पद	रिक्त पद	योग
1	2	3	4	5	6
1	एफ0एस0ओ0	1	0	1	1
2	एफ0एस0एस0ओ0	1	0	1	1
3	एल0एफ0एम0	2	2	0	2
4	एफ0एस0चालक	2	1	1	2
5	एम0एम0	16	1	15	16
6	कुक/कहार	2	2	0	2
7	स्वीपर	2	2	0	2

वाहन /मशीन

1.फायर टेन्डर–1

2.बोलेरो कैम्पर–1
3.पम्प 3
4.फायर हाइडेन्ट 6
5.संचार माध्यम– वायर लेस सेट,सी0यू0जी0मोबाइल–9494418821

फायर स्टेशन उतरौला में भूमि उपलब्ध हो गयी है। इस तहसील की डियूटी बलरामपुर से संचालित कियाजाता है।उतरौला कोतवाली मे त्यौहार आदि के समय फायर गाडी को सुरक्षित तैयार रखा जाता है।

किसी भी आपदा अग्नि कांड की सूचना मोबाइल ,एवं पुलिस विभाग के टोल फ्री न0 पर प्राप्त होते ही कर्मचारी दमकल के साथ गन्तव्य स्थान पर रवाना हो जाते है।
नियंत्रण पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा किया जाता है

अग्नि शमन अधिकारी
बलरामपुर

भौतिक मानचित्र

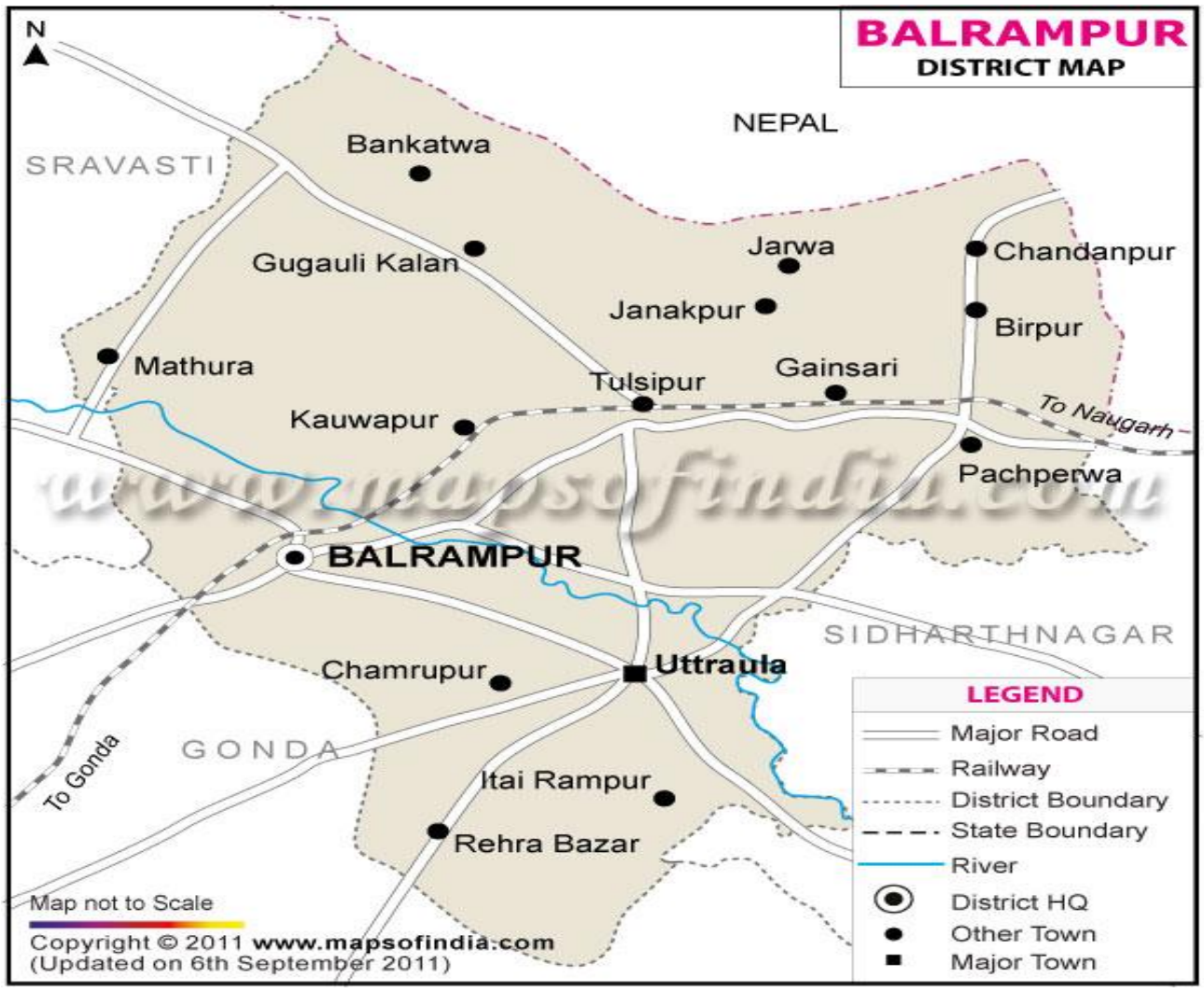
BALRAMPUR
DISTRICT MAP
N
NEPAL
SRAVASTI
Bankatwa
Gugauli Kalan
Jarwa
Chandanpur
Janakpur
Birpur
Mathura
Tulsipur
Gainsari
To Naugarh
Kauwapur
Pachperwa
BALRAMPUR
SIDHARTHNAGAR
Chamrupur
Uttraula
GONDA
To Gonda
Itai Rampur
Rehra Bazar
Map not to Scale
Copyright © 2011 www.mapsofindia.com
(Updated on 6th September 2011)
LEGEND
Major Road
Railway
District Boundary
State Boundary
River
District HQ
Other Town
Major Town

.....

उपसंहार

जनपद बलरामपुर में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर कृषकों के अवशेष राजस्व मुख्य देयों (भू–राजस्व, तकाबी तथा सिंचाई देयों) की वसूली शासन एवं मा0 परिषद से प्राप्त निर्देश के क्रम में स्थगित कर दी जायेगी तथा कृषकों से विविध देयों की वसूली में कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न किये जाने के लिए समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों से शासन एवं मा0 परिषद से प्राप्त यथा निर्देश कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी। जनपद बलरामपुर में नागरिकों तथा पशुओं के पेयजल की स्थिति सम्प्रति सामान्य है। पशुओं के चारे की कोई समस्या नहीं है। जनपद स्तर पर सूखे से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर नियन्त्रण पाने हेतु कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है तथा जिला सूखा आपदा परामर्शदात्री समिति, बलरामपुर की नियमित रूप से बैठक की जा रही है। अकाल संहिता (संशोधित) के अध्याय दो से पॉच में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत खरीफ की फसल की क्षति होने पर सही मूल्यांकन किये जाने हेतु समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को समुचित निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। साथ ही यह निर्देश भी दिए गये हैं कि निरन्तर भ्रमणशील रहकर तालाब/पोखरों में पशुओं के पेयजल तथा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर–सप्लाई, वाटर वर्क्स तथा स्थापित इण्डिया मार्का–।। के द्वारा की जा रही है तथा इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तहसील स्तर पर गठित आपदा समिति की भी नियमित बैठकें उप जिलाधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित कराई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा सूखे की आपात स्थिति से निपटने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है।

✸ ✸ ✸

कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर।

संख्याः 4300 /जिला आपदा प्रबन्धन(सूखा/बाढ–आपदाप्रबन्धन (बैठक–सूचना)/15 दिनांकः 23मई, 2015

विषयः **वर्ष 2015 में सूखा /बाढ /आपदा प्रबन्धन की बैठक की सूचना**

1. पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर
3. मुख्य विकास अधिकारी बलरामपुर
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर।
6. जिला विकास अधिकारी, बलरामपुर
7. महा प्रबन्धक उ0प्र0सेतु निगम लि0 अचल फैजाबाद
8. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर।
9. तहसीलदार बलरामपुर/उतरौला/तुलसीपुर।
10. जिला कृषि अधिकारी, बलरामपुर
11. जिला पशु चिकित्साधिकारी, बलरामपुर
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0/ई0डी0एम0
13. जिला विद्यालय निरीक्षक बलरामपुर
14. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बलरामपुर
15. अधिशासी अभियन्ता विद्यतु वितरण खण्ड बलरामपुर
16. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड बलरामपुर
17. जिला पूर्ति अधिकारी बलरामपुर
18. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी
19. जिला उद्यान अधिकारी
20. जिला गन्नाधिकारी बलरामपुर
21. जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी बलरामपुर
22. परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
23. जिला समाज कल्याण अधिकारी
24. जिला क्रीडाधिकारी बलरामपुर
25. जिला युवा कल्याण अधिकारी बलरामपुर
26. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी बलरामपुर
27. जिला बचत अधिकारी बलरामपुर
28. जिला प्रबन्धक अग्रणी बैक इलाहाबाद बैक
29. जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
30. मुख्य खाद्य एवं औषिधी निरीक्षण अधिकारी
31. जिला अग्नि शमन अधिकारी
32. जिला सहायक निबन्धक सह0स0उ0बलरामपुर
33. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
34. जिला विकलागं कल्याण अधिकारी
35. सहायक निदेशक मत्स्य बलरामपुर
36. अधिशासी अभियन्ता राप्ती मण्डल बलरामपुर
37. जिला संगठक प्रान्तीय रक्षादल बलरामपुर
38. जिला होमगार्डस कमाडेंट बलरामपुर
39. जिला आबकारी अधिकारी बलरामपुर
40. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बलरामपुर
41. कमान्डेट एन0सी0सी0 बलरामपुर
42. जिला समन्वयक नेहरू युव केन्द्र
43. डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर बलरामपुर
44. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बलरामपुर
45. जिला अल्प सख्यक कल्याण अधिकारी बलरामपुर
46. प्रार्चाय राजकीय आश्रम पद्वति बलरामपुर
47. अधिशासी अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ बॉध, निर्माण खण्ड, बलरामपुर।
48. अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0 बलरामपुर निर्माण खण्ड/प्रान्तीय खण्ड/इन्डोनेपाल बार्डर
49. अधिशासी अभियन्ता, सूरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम बहराइच
50. भूमि संरक्षण अधिकारी (राष्ट्रीय जलागम) बलरामपुर।
51. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बलरामपुर
52. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड बलरामपुर

53. अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर।
54. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद बलरामपुर।
55. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–1, 3, व 4 बलरामपुर।
56. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर
57. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रा0ख0श्रावस्ती।
58. अधिशासी अभियन्ता सरजूनहरखण्ड–2 बलरामपुर(नोडल अधिकारी–बाढ
59. एस0डी0ई0टैलीफोन्स बलरामपुर
60 जला कार्यक्रम अधिकारी नेडा
61 कमान्डेट एस0एस0बी0 बलरामपुर
62 महाप्रबन्धक चीनी मिल्स बलरामपुर/तुलसीपुर/बजाज चीनी मिल्स
63 स्वय सेवी सस्थायें जनपद बलरामपुर

महोदय,

उपर्युक्त विशयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदया के निर्देषानुसार जनपद मे सूखा बाढ एवं आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत आने वाली समस्याों के निदान एवं पूर्व तेयारी करने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 25.5.2015 को 12.30बजे बैठक आहूत की गई है।जिसमे विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण समय बद्व योजनाओं एवं कार्यो की प्रगति एवं उनके कियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा तदनुसार वर्ष–2015–16 की कार्ययोजना सूखा/बाढ/आपदा प्रबन्ध योजना तैयार की जानी है।

अतः आप सभी से अनुरोध है उक्त बिन्दु पर अद्यावधिक सूचनाओं के साथ **दिनांक–25.05.2015** को समय 12.30 बैठक में भाग लेने व अद्यावधिक प्रगति रिर्पोट की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

प्रतिलिपिः
1. जिलाधिकारी महोदया की सेवा में प्राप्त निर्देष के क्रम में सादर अवलोकनार्थ।
2. अध्यक्ष जिला पंचायत बलरामपुर को बैठक में भाग लेने हेतु।
3. नाजिर सदर को आवष्यक व्यवस्था सुनिष्चित करने हेतु।

अपर जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

सूखा राहत बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु

1. वर्शा के पानी का अधिकतम उपयोग तथा संरक्षण करना।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
3. पानी के परम्परागत स्रोतों का पुर्नजीवीकरण।
4. अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिष्चित करना।
5. पानी के संग्रहण एवं भू–कूपों का पुर्नभरण।
6. मिट्टी व नमी का संरक्षण।
7. अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
9. फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
10. कृशि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
11. स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।
12. अपने स्वयं के अनुभवों, विभागों की दक्षता, जन प्रतिनिधियों के व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव का सदुपयोग।
13. पेयजल के सभी स्रोतों/संसाधनों का उचित मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग हेतु तैयार करना।
14. खराब नलकूपों को समय से मरम्मत सुनिष्चित कराना।
15. पेयजल के कुओं को आवष्यकतानुसार गहरा कराना।
16. पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग की नहरों/नलकूपों/निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों के भरवाने की व्यवस्था सुनिष्चित करना।
17. खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
18. खराब ट्रान्सफार्मर निर्धारित अवधि में बदलने की व्यवस्था सुनिष्चित करना।
19. रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु व्यवस्था सुनिर्षिचित करना।
20. सिंचाई के सभी संसाधनों/सरकारी नलकूपों को चालू स्थिति में रखना।
21. नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाये जाने की व्यवस्था।
22. नहरों की अवैध कटान पर कड़ी निगरानी रखना।
23. मनुश्यों को लू, संक्रामक रोगों एवं महामारियों से बचाने के लिए आवष्यक निशेधात्मक व्यवस्था एवं सघन चिकित्सीय व्यवस्था।
24. महामारियों के नियंत्रण हेतु वांछित दवाओं को चिन्हांकन करके समुचित स्टाक की व्यवस्था।
25. पशुओं के चारे के अभाव में की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
26. पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था।
27. महामारी के नियंत्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन करके समुचित स्टाक की व्यवस्था।
28. आकस्मिकता हेतु आवष्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था की योजना।
29. कुपोशण की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना।
30. मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार–प्रसार करना।
31. वैकल्पिक फसलों के साथ खाद्य एवं बीज के प्रबन्ध की व्यवस्था।
32. फसलों में रोग बचाव हेतु कीटनाषक दवाओं की समुचित व्यवस्था।

∞ ∞ ∞

सूखा राहत बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु

1. वर्शा के पानी का अधिकतम उपयोग तथा संरक्षण करना–

जनपद बलरामपुर में भारत–नेपाल सीमा से लगे चार विकास खण्डों क्रमशः पचपेड़वा, गैंसड़ी, तुलसीपुर तथा हर्रैयासतघरवा क्षेत्र में भूगर्भ जल स्ट्रेटा हार्ड होने के कारण सिंचाई/पेयजल हेतु बोरिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण सिंचाई/पेयजल की अनुपलब्धता बनी रहती है तथा इस क्षेत्र के कृषकों को पूर्णरूप से वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन विकास खण्डों के अन्तर्गत नेपाल राज्य की सीमा से आने वाले जल को रोक कर 08 जलाशय क्रमशः खैरवान, गिरगिटही, बघेलखण्ड, गनेशपुर, भगवानपुर, मझगवॉ, चित्तौड़गढ़ तथा कोहरगड्डी पर बॉध बनाकर सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया गया है किन्तु इन जलाशयों में पानी की उपलब्धता वर्षा पर ही निर्भर होती है। जनपद के शेष पॉच विकास खण्डों में भूगर्भ जल का स्ट्रेटा ऊपर होने के कारण इन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप तथा निजी नलकूपों की सुविधा उपलब्ध है। वर्षा जल के संरक्षण हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय जलागम एवं कृषि विभाग को प्रचार– प्रसार हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये है।

2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना–

मनरेगा एवं विकास योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों में पूर्व निर्मित तालाबों का पुर्नगठन कराया जा रहा है, जिससे वर्शा जल के बहाव को कम करते हुये उसे संचित कर सदुपयोग किया जा सकें। पूर्व में बने बंधों के सफाई की व्यवस्था किये जाने के निर्देष सभी सम्बन्धित को दिये गये है।

3. पानी के परम्परागत स्रोतों का पुर्नजीवीकरण–

जनपद में कुल तालाब/ जलाषय की संख्या 1553 है। वर्तमान में सभी तालाब/ जलाषय में पानी से भरे हुये है। कम वर्शा होने पर इन तालाबों को ट्यूबलों से पानी भराये जाने के निर्देष सम्बन्धित को दिये गये है। पानी के परम्परागत स्रोतों का पुर्नजीवीकरण विकास के योजनाओं जैसे मनरेगा आदि से कराया जा रहा है। सभी खण्ड विकास अधिकारियों को ग्राम में कम से कम 02 –02 कुआं गहरा कराने के भी निर्देष दिये गये है।

4. अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिष्चित करना।

षासन के निर्देष के क्रम में सभी उप जिलाधिकारियों को सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाकर उनकी फोटोग्राफ अतिक्रमण के पूर्व में बाद की उपलब्ध कराये जाने के निर्देष दिये गये है तथा सभी को निर्देषित किया गया कि धारा– 122 ज0वि0अधि0 के लम्बित वादों में नियमानुसार नोटिस देकर अवैध कब्जा हटवाने की कार्यवाही सुनिष्चित करें। नये प्रकरणों को गठित समिति के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत करें। वनों की भूमि पर अतिक्रमण की षिकायत होने पर तत्काल उसे निस्तारित किया जाता है तथा वन विभाग को खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण के निर्देष दिये गये है।

5. पानी के संग्रहण एवं भू–कूपों का पुर्नभरण–

समस्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देषित किया गया है कि वह तालाबों में पानी के संग्रहण की व्यवस्था सुनिष्चित करायेंगे तथा जो कूप सूख गये है, उन्हें गहरा कराकर चालू कराया जाय।

6. मिट्टी व नमी का संरक्षण–

कृशि अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को ग्राम में व्यापक प्रचार हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये निर्देष दिये गये है कि जल को एक तरफ से बहाव न करके बल्कि उसे फौव्वारा के रूप में उपयोग करके मिट्टी में नमी को बनाये रखें, जिससे फसल की पैदावरी पर प्रभाव न पड़े। षासन के निर्देष के क्रम में मिट्टी व नमी के सरंक्षण हेतु विभाग द्वारा काष्ताकारों की भूमि की मेढ़बन्दी कराई जा रही है।

7. अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना–

इस बिन्दु पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं सभी सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देष दिये गये है कि वह अपने– अपने विभाग के रिक्त भूमि पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण कराना सुनिष्चित करें तथा वृक्षों के कटान पर कड़ी नजर रखे। यह कार्य सम्बन्धित विभाग योजनावद्ध रूप से सुनिष्चित करें।

8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग–

यद्यपि जनपद बलरामपुर में फसल चक्र के रूप में उत्पादन हेतु ऐसी मिट्टी नहीं है, फिर भी कृशि अधिकारी एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देष दे दिया गया है। सूखे की स्थिति में यदि ऐसी पद्वति अपनाई जा सके, तो उसके लिये अपने विभागीय स्तर पर योजना तैयार कर लें और आवष्यकतानुसार उसे लागू करायें।

9. फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना–

फसलों में फव्वारा पद्यति से सिंचाई कर विकास एवं उत्पादन के लिये कृशि अधिकारी एवं जल संरक्षण विभाग को निर्देष दिया गया है कि वह आम जन को ऐसी पद्यिति की जानकारी दे और उसका क्रियान्वयन करायें, जिससे कि जल संरक्षण को अधिक से अधिक मिल सके और कम पानी में फसल को सूखे से बचाया जा सके। इस हेतु स्वयं सेवा संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है।

10. कृशि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना–

कृशि के साथ– साथ परम्परागत उद्योगों जैसे – रेषम उत्पादन, मछली पालन व मुर्गा पालनक तथा दुग्ध उत्पादन आदि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मत्स्य विभाग, रेषम विभाग व उद्योग विभाग के अधिकारियों को आवष्यक निर्देष दे दिये गये है।

11. स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना–

जनपद में स्थापित स्वयं सहायता समूहों के साथ एवं उनका सहयोग करने के लिये पानी बचाव जैसे जागरूकता अभियान चलाने हेतु जनपद के सभी विभागों एवं इस कार्य में तीव्र प्रगति के लिये सिंचाई विभाग के सभी खण्डों के अधिकारियों को निर्देष दिया गया है।

12. अपने स्वयं के अनुभवों, विभागों की दक्षता, जन प्रतिनिधियों के व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव का सदुपयोग–

बैठक के दौरान सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देषित किया गया है कि अपने निजी अनुभवों को आम जन में पहुंचाये और इस कार्य के लिय जन प्रतिनिधियों के अनुभव का

भी सदुपयोग करें और उसे व्यवहारिक से लागू कराने की योजना तैयार रखे। वर्तमान में सुखे की स्थिति से निपटने हेतु सभी सम्बन्धित के साथ बैठक कर सुखा प्रबन्ध योजना तैयार कर ली गई है।

13. पेयजल के सभी स्रोतों/संसाधनों का उचित मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग हेतु तैयार करना–

जनपद में पेयजल हेतु स्थापित नलकूपों, इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों, सामान्य हैण्ड पम्पों, कुओं एवं ओवर हैड टेन्कों को सदैव स्वच्छ एवं सुदृढ़ तथा उसे चालू रखने की व्यवस्था की गई है। जनपद में षहरी क्षेत्र में 677 हैण्डपम्प स्थापित है, जिसमेंसे 21 हैण्डपम्प खराब है एवं ग्रामीण क्षेत्र में 26539 हैण्ड पम्प स्थापित है, जिसमें से 890 हैण्ड पम्प खराब है, जिन्हें ठीक कराये जाने के निर्देष दिये गये है। प्रत्येक विकास खण्ड रजिस्टर रखा गया है, जिसमें खराब हैण्ड पम्पों की इन्ट्री की जायेगी। प्रत्येक विकास खण्ड में गठित दो– दो टीमें रजिस्टर से सूचना प्राप्त कर हैण्ड पम्प ठीक करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी को अवगत करायेंगे।

14. खराब नलकूपों को समय से मरम्मत सुनिष्चित कराना–

जनपद में स्थापित सभी नलकूपों का सर्वे अधिषासी अभियन्ता, नलकूप को निर्देषित किया गया है कि वह कोई भी नलकूप इस गर्मी में खराब न होने पायें और यदि कोई नलकूप खराब होता है, तो उसे 24 घण्टे में मरम्मत कर संचालित करना सुनिष्चित करें। जनपद में 338 सरकारी नलकूप सिंचाई हेतु स्थापित है, जिसमें से 13 नलकूप खराब है, जिन्हें तत्काल ठीक कराकर अवगत कराये जाने की निर्देष दिये गये है। अन्य स्थिति में तत्काल उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करायें।

15. पेयजल के कुओं को आवष्यकतानुसार गहरा कराना–

पेयजल के कुओं का सर्वे किये जाने के निर्देष सभी खण्ड विकास अधिकारियों को दिये गये है तथा सूखे एवं कम गहरे कुओं को मनरेगा के अन्तर्गत खुदवाने, आवष्यकतानुसार गहरा किये जाने के निर्देष दिये गये है।

16. पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग की नहरों/नलकूपों/निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों के भरवाने की व्यवस्था सुनिष्चित करना–

सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों एवं सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं तथा नलकूप विभाग को इस सम्बन्ध में आवष्यक निर्देष दिये गये है कि वह प्रत्येक दिवस क्षेत्र में अपने –अपने कर्मचारियों से तालाबों / पोखरों एवं पानी की उपलब्धता की जानकारी लेते रहे और यदि कोई तालाब पाया जाता है, तो उसे सम्बन्धित विभाग के नजदीकी संसाधन तत्काल भरा दिया जाय। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूखा योजना तैयार कर ली गई है।

17. खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था–

विकास विभाग द्वारा मनेरगा के अन्तर्गत 151432 श्रमिकों को चिन्हित किया गया है जिन्हें सुखे की स्थिति में प्रति श्रमिक 20 दिन से 04 माह तक रोजगार उपलब्ध कराये जाने का मानव दिवस सृचित किया गया है। जिसके लिये रू0 4466.37 लाख धनराषि अनुमानित व्यय होगी।

18. खराब ट्रान्सफार्मर निर्धारित अवधि में बदलने की व्यवस्था सुनिष्चित करना–

अधिषासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर को खराब ट्रान्सफार्मन 03 दिवस में ठीक कराये जाने के निर्देष दिये गये है।

19. रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु व्यवस्था सुनिषिचित करना–

अधिषासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर को षासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार मुख्यालय पर 15 घण्टे एवं ग्रमीाण क्षेत्रों में 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के निर्देष दिये गये है।

20. सिंचाई के सभी संसाधनों/सरकारी नलकूपों को चालू स्थिति में रखना–

सूखे की स्थिति में सिंचाई के सभी संसाधनों का उपयोग सुनिष्चित कराये जाने के निर्देष दिये गये है। वर्तमान में 13 नलकूप विद्युत दोश से खराब है, इन्हें तत्काल ठीक करने के निर्देष दिये गये है।

21. नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाये जाने की व्यवस्था–

सिंचाई विभाग के सभी खण्डों को नियत रोस्टर के अनुसार नहरों को चलाये जाने के निर्देष दिये गये है तथा रोस्टर की जानकारी सभी कृशकों को पूर्व से उपलब्ध कराने के भी निर्देष दिये गये है।

22. नहरों की अवैध कटान पर कड़ी निगरानी रखना–

सभी सम्बन्धित तहसीलदार एवं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को निर्देष दिया गया है कि नहरों की अवैध कटाने पर कड़ी निगरानी रखे। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की षिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करे तथा दोशी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देष दिया गया है।

23. मनुश्यों को लू, संक्रामक रोगों एवं महामारियों से बचाने के लिए आवष्यक निशेधात्मक व्यवस्था एवं सघन चिकित्सीय व्यवस्था–

ग्रीश्मकालीन / सूखा जनित बीमारियों से बचाव के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी को सतर्क दृश्टि बनाये रखे जाने के निर्देष दिये गये तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल चिकित्सीय टीम मौके पर भेजे के भी निर्देष दिये गये है।

24. महामारियों के नियंत्रण हेतु वांछित दवाओं को चिन्हांकन करके समुचित स्टाक की व्यवस्था–

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा महामारियों के नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर कैम्प कार्यालय में संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है,जिसमें उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकाहरी के नेतृत्व में चिकित्सीय दल आवष्यक औशधियों के साथ उपलब्ध रहते है, जिनका नम्बर 05263– 233541 है। इस सम्बन्ध में समस्त आवष्यक कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देषित भी किया गया है।

25. पशुओं के चारे के अभाव में की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना तैयार करना–

मुख्य पषु चिकित्साधिकारी द्वारा सुखे की स्थिति में निपटने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस सम्बन्ध में उन्हें निर्देषित किया गया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत सतर्क दृश्टि बनाये रखे तथा संक्रामक रोगों से बचाव हेतु पषुओं का नियमित टीकाकरण अभियान चलाते रहे।

26. पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था–

मुख्य पषु चिकित्साधिकारी द्वारा सुखे की स्थिति में पषु के ईलाज हेतु विस्तृत योजना तैयार की गई है। इस सम्बन्ध में उन्हें निर्देषित किया गया है कि पषु चिकित्सालयों में पषुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था रखे।

27. महामारी के नियंत्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन करके समुचित स्टाक की व्यवस्था–

महामारी से निपटने हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देषित किया गया है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना तैयारकर ली गई है। महामारी की सूचना मिलने पर तत्काल विषेशज्ञ चिकित्सक के नेतृत्व में टीम मौके पर भेजने एवं ईलाज किये जाने के निर्देष दिये गये है।

28. आकस्मिकता हेतु आवष्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था की योजना–

आकस्मिकता की स्थिति में आपूर्ति विभाग एवं बाल विकास परियोजना के माध्यम से आवष्यक खाद्य सामग्री जैसे बाल पुश्टाहार एवं मेड–डे–मील योजना एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से खाद्य सामग्री पीड़ितों को दिये जाने योजना बनाई गई है। इसे यथा समय आवष्यकता पड़ने पर लागू किया जायेगा।

29. कुपोशण की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना–

कुपोशण से बचाव हेतु बाल विकास परियोजना के माध्यम से बाल पुश्टाहार का वितरण नियमित रूप से जनपद में संचालित हो रहा है।

30. मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार–प्रसार करना–

कृशि अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को ग्राम में व्यापक प्रचार हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये निर्देष दिये गये है कि जल को एक तरफ से बहाव न करके बल्कि उसे फौव्वारा के रूप में उपयोग करके मिट्टी में नमी को बनाये रखें, जिससे फसल की पैदावरी पर प्रभाव न पड़े। षासन के निर्देष के क्रम में मिट्टी व नमी के सरंक्षण हेतु विभाग द्वारा काष्ताकारों की भूमि की मेढ़बन्दी कराई जा रही है।

31. वैकल्पिक फसलों के साथ खाद्य एवं बीज के प्रबन्ध की व्यवस्था–

अगेती, राई/ सरसों, मक्का, तोरिया आदि वैकल्पिक फसलों एवं खाद्य व बीज का प्रबन्धीकरण कृशि विभाग, उद्यान विभाग द्वारा किये जाने सम्बन्धी विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिसे आकस्मिकता पड़ने पर तत्काल क्रियान्वित कराया जायेगा।

32. फसलों में रोग बचाव हेतु कीटनाषक दवाओं की समुचित व्यवस्था–

फसलों में रोग एवं कीटों से बचाव हेतु कीटनाषक दवाओं की समुचित व्यवस्था कृशि रक्षा इकाई के माध्यम से किये जाने के निर्देष दिये गये है तथा आवष्यकतानुसार कृशकों में वितरित किये जाने की व्यवस्था तत्काल लागू की जायेगी।

सम्भावित सूखा की स्थिति से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कमेटी की बैठक दिनांकः 25.05.2015 का कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांकः 25.05.2015 को सम्भावित सूखा की स्थिति से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार, बलरामपुर में जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित रहे–

1. प्रभागीय वनाधिकारी सोहलेवा वन्य जीव प्रभाग बलरामपुर।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)बलरामपुर
3. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर
4. जिला विकास अधिकारी, बलरामपुर
5. उप जिलाधिकारी उतरौला।
6. अवर अभियन्ता भूमि सरक्षण विभाग
7. तहसीलदार बलरामपुर/उतरौला/तुलसीपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0प्रा0ख0 बलरामपुर
9. पशु चिकित्साधिकारी, बलरामपुर
10. परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, बलरामपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–2/नोडल अधिकारी (बाढ़) बलरामपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ बॉध, निर्माण खण्ड, बलरामपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड बलरामपुर।
14. खण्ड विकास अधिकारी, तुलसीपुर।
15. भूमि संरक्षण अधिकारी (राष्ट्रीय जलागम) बलरामपुर।
16. सहायक अभियंता, जल निगम, बलरामपुर

17. सहायक अभियंता, नलकूप खण्ड बलरामपुर
18. सहायक अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर।
19. प्रतिनिधि समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद बलरामपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–1, बलरामपुर।
21. अवर अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर।
22. अवर अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर
23. अग्निशमन अधिकारी
24. सहायक निदेशक मत्स्य, बलरामपुर
25. अभिविहित अधिकारी खाद्य एवं सुरक्षा बलरामपुर
26. औषिधी निरीक्षक बलरामपुर
27. जिला गन्नाधिकारी बलरामपुर
28. जिला युवा कल्याण अधिकारी बलरामपुर

————————————————————————————

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सर्व प्रथम पेयजल की स्थिति पर चर्चा की गयी।

1. राजकीय नलकूपों की स्थिति

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड बलरामपुर को निर्देश दिये गये कि सभी नलकूपों को चलवाया जाय, कोई भी नलकूप विद्युत दोष अथवा यांत्रिक दोष के कारण खराब होता है तो उसे 24 घंटे के अन्दर ठीक कराया जाय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा बैठक मे उपस्थित अ0अ0विद्युत वितरण को निर्देश दिया गया कि वह नलकूप विभाग के अ0अ0 समन्वय स्थापित करके विद्युतीय दोष से खराब सभी नलकूपों को तत्काल ठीक कराये। सूचना प्रत्येक सप्ताह शनिवार को निम्न बिन्दुओं पर प्रेषित करेगें।

क– कुल राजकीय नलकूपों की संख्या (सिंचाई)–
ख– चालू हालत में नलकूपों की संख्या–
ग– कुल खराब नलकूपों की संख्या–
घ– यांत्रिक दोष के कारण खराब नलकूपों की संख्या–
ड.– विद्युत दोष के कारण खराब नलकूपों की संख्या–

1. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र पेयजल योजना– जिलाधिकारी महोदया द्वारा अ0अ0अभियन्ता जल निगम बलरामपुर को पेयजल के सभी स्रोतों/संसाधनों की भली प्रकार से मरम्मत का कार्य उष्णता कों दृष्टिगत रखते हुए तत्काल ठीक करा लिये जाये तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प सही हालत में चालू रहें यह भी सुनिश्चित किया जाये । निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रति सप्ताह उपलब्ध करायें।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम बलरामपुर ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त हैण्डपम्पों का सर्वे कराकर एक सप्ताह में ठीक कराये। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम बलरामपुर हैण्ड पम्पों के रिबोर की कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रत्येक सप्ताह शनिवार को उपलब्ध करायें।

हैण्डपम्पों की स्थिति

क– कुल इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों की संख्या–
ख– अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की संख्या–
ग– स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की संख्या–

क. जनपद में रिबोर कराये जाने वाले हैण्डपम्प की संख्याः
ख. उक्त के लिए आवश्यक धनराशिः
ग. जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशिः
घ. अब तक रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या
ड. रिबोर कराने हेतु अवशेष हैण्डपम्पों की संख्याः

क्र0	पेयजल संकट से प्रभावित ग्राम शहरी क्षेत्र के वार्ड/ मुहल्ला क्षेत्र का नाम	दिन की संख्या	टैंकरों की संख्या	प्रति टैंकर के किराये की धनराशि	कुल वांछित धनराशि
1	2	3	4	5	6

शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत रिबोर योग्य समस्त हैण्डपम्पों को तत्कालं रिबोर कराना सुनिश्चित करें। शहर के किसी भी मोहल्ले में पानी की समस्या की सूचना प्राप्त होती है तो टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाय तथा जल निगम द्वारा निर्धारित दर पर किराये का भुगतान किया जाय। टैकर से जलापूर्ति का सत्यापन उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तुलसीपुर तहसील क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों में 25 मीटर से नीचे बोरिंग न होने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम बलरामपुर अपने विभाग को पत्र लिखकर बोरिंग की समुचित व्यवस्था करायें। विकास खण्ड स्तर पर सभी खण्ड विकास अधिकारी एक रजिस्टर बना लें जिसमें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से यह सत्यापित करा लें कि उस कर्मचारी के क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं तथा कितने रिबोर योग्य है, कितने अस्थाई खराब हैं और कितने चालू हैं, की अंकन पंजिका पर करके प्रतिदिन यह सुनिश्चित किया जाय कि यदि ग्राम के किसी भी व्यक्ति के माध्यम से हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना मिलती है तो उसे तत्काल ठीक कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम

बलरामपुर को पत्र प्रेषित करके ठीक करायें और मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को जिला पंचायत राज अधिकारी अपने स्तर से ठीक कराना सुनिश्चित करें।

ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में यांत्रिक दोष के कारण खराब नलकूपों को अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बलरामपुर को तथा विद्युत दोष के कारण खराब नलकूपों को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर तत्काल ठीक कराना सुनिश्चित करें। नलकूपों की सूचना विकास खण्डवार प्रस्तुत किये जायें तथा जिन तालाबों को भरा जाना है उनकी सूची की एक–एक प्रति मुख्य विकास अधिकारी बलरामपुर को तथा समस्त उप जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर व जिला आपदा प्रबन्धन केन्द्र बलरामपुर को प्रेषित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं को आवश्यकतानुसार गहरा कराये जाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्पों के खराब होने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बलरामपुर व जिला पंचायत राज अधिकारी बलरामपुर को उपलब्ध कराने हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद बलरामपुर को निर्देश दिये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप चालू हालत में हैं या नहीं? ग्राम प्रधानों से प्रमाण पत्र लेकर एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाय।

2.तालाब/पोखरों को भरा जाना तथा पाइप लाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति एवं ओबर हेड टैंक की सफाई–

उप जिलाधिकारी/तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारी को यह निर्देश दिये गये कि ग्रामवार तत्काल सर्वे कराकर तालाबों को सरकारी ट्यूबेल से विभाग के जलाशय व निजी ट्यूबेल के माध्यम से अथवा जो भी संसाधन हों उससे भराया जाय। जिन ताबाबों को भरवाया जाय उसकी सूची दूसरे दिन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बलरामपुर यह सुनिश्चित करें कि नरेगा से जो तालाब खोदे जा रहे है और तालाब खोदकर पूर्ण हो गये है उनकी सूची भी अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, नलकूप खण्ड व चित्तौड़गढ़ बॉध बलरामपुर को उपलब्ध करायें, ताकि उसे भी भरवाया जा सके।

उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को जिला पंचायत राज अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर ठीक कराना सुनिश्चित करें।

नगर निकायवार कुल कितने ओबर हेड टैंक स्थापित है, कितने चालू हैं और कितने यांत्रिक दोष से एवं कितने विद्युत दोष से खराब हैं। स्थापित ओबर हेड टैंक की सफाई 3 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें तथा उनमें ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था की जाय।

मुख्य चिकित्साधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की चेकिंग कराकर ब्लीचिंग पाउचर की नियमित रूप से व्यवस्था करायी जाय। पाइन लाइनों के लीकेज की चेकिंग बराबर की जाय और जहॉ कहीं भी पाइप लाइन लीकेज हो अथवा जन सामान्य से कोई शिकायत मिले उसे तत्काल सही कराया जाय तथा चेकिंग के समय यह भी देखा जाय कि किसी व्यक्ति द्वारा बिना कनेक्शन प्राप्त किये पाइन लाइन से स्वयं कनेक्शन जोड़ कर पानी ले रहा है। यदि ऐसा पाया जाय तो उस अवैध कनेक्शन को तत्काल काट दिया जाय तथा चेकिंग के समय दुबारा कनेक्शन जोड़ा पाया जाय तो उस व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही कराया जाय, क्योंकि अवैध कनेक्शन से जल प्रदूषित होता रहता है और इससे तमाम संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि कीटनाशक दवाओं यथा ब्लीचिंग पाउडर का स्टाक 07 दिन के लिए हमेशा उपलब्ध रखा जाय। समस्त उप जिलाधिकारी अपने नगर क्षेत्र के अन्तर्गत औचक निरीक्षण भी करते रहें। कुओं को प्रत्येक गॉव में कम से कम 2–2 कुऑ सभी खण्ड विकास अधिकारी, मनरेगा से गहरा करा दें। नलकूप विभाग द्वारा 189 तालाब भरे जाने हैं जिसमें से 80 भरवा दिये जाने की बात बतायी गयी है। नलकूप विभाग भराये गये 80 तालाबों की सूची ग्रामवार तत्काल प्रेषित करें। सभी हैण्डपम्प चालू हालत में होने चाहिए। ट्रांसफार्मर 24 घंटे में ठीक हो जाना चाहिए। हैण्डपम्पों के ठीक/खराब होने की सूचना तत्काल उप जिलाधिकारी को दिया जाय तथा प्रति सप्ताह शनिवार को प्रगति आख्या भेजी जाय। उप जिलाधिकारी सभी लेखपालों से सत्यापन कराते रहें।

(कार्यवाही–अधि0 अभि0नलकूप खण्ड/जल निगम, अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त ई0ओ0 (स्था0नि0), समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बलरामपुर एवं समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद बलरामपुर।)

3. सिंचाई सुविधायें

सहायक अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ बॉध निर्माण खण्ड बलरामपुर को निर्देश दिये गये कि नहरों की शिल्ट सफाई हुई है या नहीं, यदि साफ न हो तो सफाई करा ली जाय तथा नहरों का सर्वे करा लिया जाय और जिन स्थानों पर नहर कट गये हों उन स्थानों पर कटान का मरम्मत करा लिया जाय। अवैध रूप से कटान करने वालों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करायी जाय। इस कार्य में जिला एवं पुलिस प्रशासन का अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई के लिए स्थापित ट्यूबेलों की सूचना विकास खण्डवार प्रस्तुत करें तथा सभी ट्यूबेलों का सर्वे करा लिया जाय, यदि कोई खराब हो तो उसके एक सप्ताह के अन्दर ठीक कराया जाय और उसे सदैव चालू हालत में रखा जाय।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड/चित्तौड़गढ़ बॉध, बलरामपुर।

4. भूसा/चारा की व्यवस्था :–

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में वर्तमान समय में चारे के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है, चारा की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है।मुख्य पशु चिकित्साधिकारी व जिला कृषि अधिकारी बलरामपुर को निर्देश दिये गये कि वह राजकीय फार्म हाउस पर जनपद गोण्डा फैजाबाद तथा बलरामपुर में उपलब्ध भूसा को रिजर्व करा दें ताकि चारे की समस्या के समय निर्बाध रुप से चारे की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह भी सुनिश्चित कर लें कि जनपद में भूसा/चारे की उपलब्धता बनाये रखने के लिए जनपद से भूसा/चारा निकासी/विक्रय पर अंकुश लगा दिये जायें तथा अपनी–अपनी कार्ययोजना तीन दिवस के अन्दर बना कर प्रस्तुत करें। भूसा/चारा कहॉ से मॅगाये जायेंगे, उन स्थलों/स्टाकिस्ट की सूची व रेट तथा भूसा/चारा ढोने में प्रयोग होने वाले वाहनों की लिस्ट तैयार कर ली जाय।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी बलरामपुर को कृषकों को चरी के फसलों में बराबर पानी देने की सलाह देते रहें और आवश्यकतानुसार औषधि की व्यवस्था करें। पशुओं के दवाओं की सफीसियेन्ट व्यवस्था है या नहीं। यदि नही है तो जिलाधिकारी की ओर से पत्र भेजवा दें। सभी आवश्यक दवाओं को पशु केन्द्र पर उपलब्ध करा दिया जाय।

(कार्यवाही– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/जिला कृषि अधिकारी, बलरामपुर।)

5. कृषि रक्षा एवं बीज उपलब्धता :–

जिला कृषि अधिकारी, बलरामपुर सूखा की दशा में कम पानी से पैदा होने वाली फसलों की बीजों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें तथा सूखा की दशा में फसलों में होने वाली बीमारियों से सम्बन्धित कीटनाशक दवाओं के बारे में भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था रखेंगे। कृषि रक्षा अधिकारी सूखा के समय कृषको को लाभान्वित करेंगे। फारकॉस्टिंग का डाटा तैयार करा लें। सभी विभागों से समन्वय रखें। प्लान तैयार रखें कि कौन अधिकारी/कर्मचारी किस कार्य को करेंगे।

(कार्यवाही–जिला कृषि अधिकारी, बलरामपुर।)

6. निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को खाद्यान्न आपूर्ति :–

जिलाधिकारी महोदया द्वारा सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार जनपद बलरामपुर को निर्देश दिये गये कि निराश्रित एवं असहायों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का सम्पूर्ण दायित्व शासन द्वारा जिला प्रशासन को सौंपा गया है ।सभी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि उनके तहसील क्षेत्र में कोई भी निराश्रित एवं असहाय व्यक्ति भूख/लू–प्रकोप से न मरने पाये। लू–लगने की स्थिति मे मुख्य चिकित्साधिकारी आवश्यक दवाइयो के साथ पीडित व्यक्ति के इलाज की समुचित व्यवस्था करेगें इसमे किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता होने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदार का उत्तरदायित्व होगा कि उनके क्षेत्र मे कोई भी व्यक्ति भूख से न मरने पाये। अस्तु सभी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार इस कार्य के लिए पूर्ण सजग रहें और इसके लिए ग्राम प्रधानों एवं लेखपालों से इस आशय के प्रमाण पत्र भी लिये जायें कि उनके क्षेत्र मे भूख से पीडित कोई भी व्यक्ति नहीं है।

वर्षा के अभाव मे आजीविका के लिए मजदूरी पर आश्रित खेतिहर मजदूरो की समस्याओं का निदान सर्वप्रथम मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधिानित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यदि इन मदों से धनराशि उपलब्ध न हो तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। पेंशन धारकों को समय से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी (आंगनवाड़ी) अपने अधीनस्थ समस्त सी0डी0पी0ओ0 को निर्देशित गया कि बच्चों के पोषण हेतु पुष्टाहार समुचित मात्रा में व्यवस्थित एवं वितरित कराते रहें।

(कार्यवाही–जिलाविकास अधिकारी/डी0सी0मनरेगा /समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/ जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद बलरामपुर।)

7. अग्निकाण्ड :–

अग्निकाण्ड की घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को समय से सहायता नवीनतम शासनादेश दिनांक 8.4.015 के अनुसार पीडित परिवार को प्रदान किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि अग्निकाण्ड में दैवी आपदा से पीड़ित परिवारों को प्रत्येक दशा में 24 घंटे के अन्दर राहत प्राप्त हो जाय। यदि समय से राहत प्राप्त न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए सम्बन्धित सभी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सीधे जिम्मेदार होंगे। अस्तु सभी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार अपने अधीनस्थ राजस्व निरीक्षकों को 24 घंटे के अन्दर तथा लेखपाल को 08 घंटे के अन्दर आख्या देने के लिए निर्देशित करें। गॉवों में यह भी प्रचार प्रसार किया जाय कि लोग अपने खलिहानों को दूर–दूर रखें। फसलों पर अग्निकाण्ड से पीड़ित लोगों को सहायता देने हेतु शासन द्वारा सहायता दिये जाने का प्रावधान है अतएवं यदि किसी तहसील/ग्राम में फसलों पर अग्निकाण्ड की घटना घटित हो उसकी पूर्ण जॉच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध कराया जाय। सभी तहसीलदार अपने लेखपालों के माध्यम से गॉवों में प्रचार प्रसार करवा दें कि छप्पर के घरों में खाना बनाते समय चूल्हें के पास एक बाल्टी, दो बाल्टी पानी भर कर अवश्य रखें और आग जला कर घर से इधर–उधर न जायें। खाना बनाने के बाद आग को अच्छी तरह से बुझा दें। यह सब जानकारी गॉव में लोगों को दे दिये जायें। गॉव में कहीं आग

लगने की खबर मिलती है तो उसकी जानकारी जिलाधिकारी /अपर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक/ फायर स्टेशन को 100 नम्बर के टोल फ्री टेलीफोन अथवा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के टेलीफोन /मोबाइल पर तुरन्त फोन पर बतायें और लेखपाल, कानूनगो व नायब तहसीलदार तुरन्त मौके पर जायें तथा वहॉ पहुॅच पुनः मौके की स्थिति की जानकारी जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को दें तथा तहसीलदार व उप जिलाधिकारी भी मौके पर जाकर तुरन्त राहत वितरण की कार्यवाही करायें। सभी उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय लेखपाल अपने अपने क्षेत्र मे निवास करें तथा राजस्व अधिकारियों के सम्पर्क दूरभाष अथवा मोबाइल से सम्पर्क मे रहें,,साथ ही तहसीलों में आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी उप जिलाधिकारी अपनी देख–रेख में सुचारू रूप से सम्पन्न करें, जिससे आपदा न्यूनीकरण हो सके।विकास विभाग के सभी फील्ड स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी अपने नियुक्ति स्थल पर निवास करके शासकीय कार्य का सम्पादन करते हुए किसी भी प्रकार की घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगें तथा इस हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेगे।

(कार्यवाही–जिलाविकास अधिकारी बलरामपुर/समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार, जनपद बलरामपुर।)

8. जीवन रक्षक औषधियॉ :–

बैठक में उपस्थित उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर को निर्देश दिये गये कि वह मनुष्यों में होने वाली सूखा जनित बीमारियों के सम्बन्ध में दवाओं का समुचित मात्रा में भण्डारण रखा जाना सुनिश्चित करें तथा बच्चों में टीकाकरण करा दिये जायें साथ ही साथ सभी प्रकार की दवाईयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध करा दिये जायें। उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उपलब्ध दवाओं की सूची एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पन्द्रह दिन के अन्दर प्रेषित करें। इसी प्रकार मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बलरामपुर यह सुनिश्चित

करें कि वह पशुओं में आम तौर से होने वाली सूखा जनित बीमारियों से बचाव हेतु दवाओं का समुचित भण्डारण रखा जाना सुनिश्चित करें तथा पशुओं के जीवन रक्षार्थ उपलब्ध दवाओं एवं अब तक किये गये उपचारों का पूर्ण ब्यौरा सहित सूची पन्द्रह दिन के अन्दर प्रेषित करें। उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद के सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को यह भी निर्देश दिये गये कि नगर क्षेत्रों में मच्छरों के बचाव हेतु नालियों की सफाई एवं धुँआ के फागिंग की तिथि निश्चित करके प्रत्येक मोहल्ले में करा दिये जायें और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट तीन दिवस के अन्दर सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत प्रेषित करें। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी निम्न बिन्दुओं पर सूचना तत्काल प्रेषित करें।

1. भूसा/हरा चारे की उपलब्धता
2. भूसे के भण्डारण की उपलब्धता
3. पशु राहत शिविरों की संख्या
1. <u>पशुओं के टीकाकरण हेतु उपलब्ध वैक्सीन का विवरण उपलब्धता</u>

(क) एच0एस0
(ख) एफ0एम0डी0
(ग) बी0 क्यू0
(घ) इन्टोटाक्सीनिया
(ड.) एस0एफ0
(च) सीपपॉक्स
(छ) आर0डी0

1. <u>दिनांकः 15.06.2015 तक पशु टीकाकरण की स्थिति</u>

(क) एच0एस0
(ख) एफ0एम0डी0
(ग) बी0क्यू0
(घ) एस0पी0
(ड.) एस0एफ0
(च) ए0आर0बी0
(छ) आर0डी0

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बलरामपुर एवं समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, बलरामपुर।)

<u>9.राजेगार सृजन</u>

ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा राहत मजदूरी कार्यक्रम की समस्या के निदान हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारी अपने विकास खण्ड की कार्ययोजना तैयार करके निम्न प्रारूप पर तत्काल प्रेषित करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा राहत मजदूरी कार्यक्रम की समस्या के निदान हेतु कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2015–2016 जनपद बलरामपुर

क्र0	विकास खण्ड का नाम	श्रमिकों की संख्या	सूखा राहत योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	प्रति श्रमिक प्रतिमाह 20 दिन 4 माह तक रोजगार उपलब्ध कराने पर सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	आवश्यक धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।)

बैठक मे पुलिस विभाग,जिला पूर्ति विभाग एवं कृषि विभाग जो आपदा के मुख्य विभाग है ,के अधिकारी सूचना होने के बावजूद बैठक मे भाग नही लिये है,और न ही कोई विभागीय प्रतिनिधि ही बैठक मे आयें है ।अगली आपदा की बैठक में इनकी उपस्थिति सुनिश्चित किया जाये।बैठक मे न आने का कारण स्पष्टकराया जाये का निर्देश जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिया गया ।

<u>10. अन्य आवश्यक व्यवस्थायें</u>

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदया द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि सभी विभाग अपना–अपना एक्शन प्लान बना लें और उसकी प्रति तत्काल उपलब्ध करायें जिससे कार्ययोजना का अपडेट किया जा सके, इसके लिए सभी विभाग अपने–अपने विभाग की कार्ययोजना की अद्यावधिक प्रति के साथ कर्मचारी नामित करें कि वह तत्काल आपदा प्रबन्धन कार्यालय मे जाकर कार्ययोजना (सूखा प्रबन्ध योजना–वर्ष 2015–16) अद्यावधिक रूप से तैयार करवाना सुनिश्चित करें। अपने अपने कार्यालय में सभी विभाग फोन रिसीबर तैनात कर दें,जिससे आपदा की स्थिति में कार्यालय फोन पर वस्तुस्थिति से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा सके। जिलाधिकारी महोदया द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि सूखा से पूर्व उपरोक्त सभी तैयारियों के साथ यथासमय अन्य आवश्यक समुचित व्यवस्थायें भी रखी जायें जिसे फौरी तौर पर आवश्यकतानुरूप उपयोग में लाया जा सके और सूखा राहत सम्बन्धी सभी उपाय किये जा सके। इस हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारीगण पूर्ण सजग रहते हुए अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (दैवी आपदा) बलरामपुर एवं मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी,(विकास विभाग) बलरामपुर से अपना समन्वय बनाये रखेंगे।

(गंगाराम गुप्ता)
अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 (दै0आ0)
बलरामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर।

संख्याः **4321** /सी0आर0ए0(सूखा राहत–बैठक–कार्यवृत्त)/15, दिनांकः 30.5..2015

प्रतिलिपिः

1.सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. सभी सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित।
5. पत्रावली पर रखने हेतु।

अपर जिलाधिकारी/प्र0 अ0(दै0आ0)
बलरामपुर।